पंचम माला, खंड 44, अंक 32 सोमवार 2 सितम्बर, 1974/11 भाद्र, 1896 (शक)
Fifth Series, Vol. XLIV, No. 32 Monday, September 2, 1974/Bhadra 11, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र
Eleventh Session]

[खंड 44 में अंक 31 से 38 तक हैं
Vol. XLIV contains Nos. 31 to 38]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 32, सोमवार, 2 सितम्बर, 1974/11 भाद्र, 1896 (शक)

No. 32, Monday, September 2, 1974/Bhadra 11, 1896 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	Re. Adjournment Motions	1–2
विशेषाधिकार प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege	2–4
विशेषाधिकार का प्रश्न—	Question of Privilege—	
चीनी उद्योग जांच आयोग के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही संबंधी ज्ञापन को सभा के समक्ष रखने में सरकार की असफलता	Failure of Government to lay before the House Memorandum of action taken on Sugar Industry Inquiry Commission Report	4–7
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	7–17
देश की समुद्री-सीमा में समुद्र के नीचे भूमि के स्वामित्व के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Ownership of land below the sea within territorial waters—	
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale . .	18
हड़ताल की अवधि के लिए रेल-कर्मचारियों को भुगतान के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 225 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के बारे में सदस्य द्वारा वक्तव्य—	Statement by Member re. reply to supplementary on S. Q. No. 225 about payment to Railway employees during strike period—	
श्रीमती पार्वती कृष्णन्	Shrimati Parvathi Krishnan	19–20
श्री मुहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi .	20
ब्याज-कर विधेयक—पुरःस्थापित किया गया	Interest Tax Bill—Introduced	21
रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधेयक पुरःस्थापित किया गया	Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Bill—Introduced	21
संविधान (36 वां संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया	Constitution (Thirty-sixth Amendment) Bill—Introduced	22–29
अतिरिक्त अनुदानों की मांगों के बारे में	Re. Excess Demands for Grants.	
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1974-75—	Supplementary Demands for Grants (General), 1974-75—	
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	29–30 & 31
तेल उद्योग (विकास) विधेयक—	Oil Industry (Development) Bill—	
विचार किये जाने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री डी० के० बरुवा	Shri D. K. Borooah . .	32 & 33–34
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C.K. Chandrappan .	36–37

1—33 LSS(ND)/74

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh.	37
श्री आर० वी० बड़े	Shri R. V. Bade	37–38
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga . .	38
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	38–39
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik .	39
श्री जे० माता गौंडर	Shri J. Matha Gowder .	39–40
श्री नाथू राम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirdha	40–41
श्री वीरेन दत्त	Shri Biren Dutta . .	41–42
श्री राजा कुलकर्णी	Shri Raja Kulkarni . .	42

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 2 सितम्बर, 1974/11 भाद्र, 1896 (शक)
Monday, September 2, 1974/Bhadra 11, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

स्थगन प्रस्तावों के बारे में
RE. ADJOURNMENT MOTIONS

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । केवल आसाम में 300 लोगों की भूख से मृत्यु हुई है । कहा जाता है कि नवम्बर-दिसम्बर में खाद्यान्न सम्बन्धी दंगे होंगे और हमें लगभग एक करोड़ अस्सी लाख टन खाद्यान्न का आयात करना पड़ेगा । विभिन्न प्रदेशों में भूख से लोगो की मृत्यु हुई हैं । सदन को इस मामले में पर चर्चा करनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : सभा इस पर दो बार चर्चा कर चुकी है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : 300 लोगों की भूख] से मृत्यु हुई है । क्या आप मेरे स्थगन प्रस्ताव को अनुमति देंगे ? (**व्यवधान**)

श्री के० एल० चावड़ा : मेरे निर्वाचन] क्षेत्र में भी खाद्यान्न की कमी है (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम इन समाचारों के सुनकर बहुत चिंतित हैं (**व्यवधान**)

Shri Madhu Limaye (Banka) : Will you kindly allow a discussion on 400 starvation deaths in Bihar under rule 377? Kindly also lay down a procedure for discussing license scandle at the earliest so that it could be discussed in the House.

श्री प्रियरंजनदास मुंशी (कलकत्ता-दक्षिण) : कल दिल्ली में साम्यवादी दल कार्यकर्त्ताओं तथा कांग्रेस के स्वयंसेवकों ने छिपाये खाद्यान्न को बाहर निकालने का अभियान चलाया ।

पुलिस ने किसी भी जमाखोर को गिरफ्तार नहीं किया बल्कि उल्टे स्वयंसेवकों के कार्य में बाधा डाली (**व्यवधान**)

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : कृपा करके श्री बसु के स्थगन प्रस्ताव पर मंत्री महोदय को आज या कल वक्तव्य देने के लिये कहें । विदेश मंत्री को भी डिगो गारलिया द्वीप पर वक्तव्य देने के लिये कहें ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : कथित 21 हस्ताक्षरों के बारे में आपने शनिवार को कहा था कि इस पर आप किसी भी प्रस्ताव को अनुमति नही देंगे लेकिन सोमवार को आप . . .

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra): I rise on a point of order under rule 31. Many hon. members rise to speak by ignoring the list of business which is not proper (*Interruption*).

अध्यक्ष महोदय : हम इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कर चुके हैं । यदि इस बारे में कोई नई सूचना है तो इसे सभा के सामने इसके स्थगित होने से पहले लाया जाय ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या आपने सरकार को वक्तव्य देने के लिये कहा है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने कह दिया है ।

विशेषाधिकार प्रश्न के बारे में

RE. QUESTION OF PRIVILEGE

श्री पी० जी० मावलंकर : इस बारे में पिछले सप्ताह आपने कहा था कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है और इस पर चर्चा के लिय मैं प्रक्रिया निर्धारित करने का प्रयास करूंगा । आपने यह भी कहा था कि हम इस मामले को किसी और दिन लेंगे । इसके बाद आपने यह भी कहा था कि हम इन प्रस्तावों को सोमवार को लेंग । सोमवार आ गया है । हम इस पर एक संसदीय समिति की जांच चाहते है । आप न केवल चर्चा के लिय दिन निश्चित करें बल्कि अपनी अध्यक्षता में एक संसदीय समिति के गठन करने की कार्यवाही भी शुरू करें । यह मामला प्रधान मंत्री तथा सरकार के ही हाथ में नहीं रहना चाहिये । इसका निर्णय समूचे सदन को करना चाहिये (**व्यवधान**)

Shri Madhu Limaye : I want your ruling on two poits. Firstly on Privilege Motion against Prime Minister and secondly on License scandle. You have admitted three or four motions on this issue. Only a Parliamentary Committee can go into the pros and cons of this scandle. Kindly give your ruling over this issue.

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मैं विरोधी दलों की ओर से घोषणा करता हूं कि हमें केन्द्रीय जांच ब्यूरों पर कोई विश्वास नही है । मुझे यह सूचना मिली है कि मूल पत्र को पूर्णत: बदल दिया गया है । अत: हमें केन्द्रीय जांच ब्यूरों पर कैसे विश्वास हो सकता है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं ने नियम 368 के अधीन एक प्रस्ताव की सूचना दी है । आपने कहा था कि हम इन प्रस्तावों को सोमवार को लेंगे ।

अब सूचना मिली है कि पांडिचेरी की इन सातों फर्मों का कोई भी अस्तित्व नही है ।

जाली हस्ताक्षरों का यह मामला एक गम्भीर मामला है । संसदीय समिति द्वारा इसकी जांच करवाना अनिवार्य है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह प्रस्ताव निर्विवाद है । इसका लक्ष्य इन माननीय सदस्यों को बचाना है । इस मामले की जांच संसदीय समिति द्वारा होनी चाहिये ।

अगर संसद सदस्य किसी कर्मचारी के लिए कोई पत्र लिखता है, तो उसे राजनैतिक दबाव माना जाता है, परन्तु कोटा और परमिट के लिए कोई पत्र लिखा जाता है, तो उसे राजनैतिक

दबाव नहीं माना जाता। नियम 189 के अधीन ग्रहीत इस प्रस्ताव पर अध्यक्ष महोदय चर्चा की अनुमति देने की कृपा करें, क्योंकि इसका लाभ उठाकर इन संसद सदस्यों को दोषमुक्त किया जा सकता है, जिनके नाम का उल्लेख किया गया है।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : I rise on a point of order under Rule 352 (2). Shri Madhu Limaye and Shri Jyotirmoy Bosu have criticised the Prime Minister for having said something in a Public meeting. This is improper as it is against the privilege and prestige of this House and the Prime Minister who is also a member of this august House. Secondly, you have admitted a motion rearding alleged signature of twenty Members, but there should be a discussion on this issue only at the time and date fixed by you. There should not be baseless discussion as it affects the feeling of the honourable Members.

श्री ए० के० एम० इसहाक (बसिरहाट) : सभा के कार्य-संचालन में समय का सबसे अधिक महत्व है। आप कार्य-सूची तैयार करें तो उसके अनुसार कार्य-संचालन होना चाहिए। इस सदन में हर सदस्य बार बार एक ही बात कह रहा है। (**व्यवधान**)

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : श्री बसु ने यह कहा था कि असम में भूख से मौतें हुई हैं, तो आपने यह कहा था कि मन्त्री महोदय इस बारे में वक्तव्य देंगे। गुजरात में अकाल की स्थिति है, मन्त्री महोदय को इस बारे में भी वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : जहाँ तक बाढ़ और भूख से मौते होने का सम्बन्ध है, यह मसला प्रश्नों के माध्यम से आता रहा है और इस विषय पर बहस भी हुई थी। मैं पहल ही बता चुका हूं कि मैंने मन्त्री महोदय से इस बारे में सभा की समाप्ति से पहले पहले वक्तव्य देने के लिए कहा है।

दूसरा मसला संसद सदस्यों की प्रतिष्ठा और गरिमा से सम्बन्धित है, इसलिए इस मसले पर विचार करके कुछ प्रक्रिया निर्धारित करने का प्रयास करुंगा। प्रधान मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव दिया गया है। कुछ सदस्यों ने, जिन्होंने अपने प्रस्ताव दिये थे, वापस ले लिये हैं। उन्हें वापस लेने के लिए सदन की अनुमति लेनी होगी। मेरी समझ में नहीं आता प्रधान मंत्री को इस विवाद में क्यों उलझाया जा रहा है। देश के समक्ष गलत तस्वीर पेश नहीं की जानी चाहिए। प्रक्रिया निर्धारित होने से पहले ही विशषाधिकार के प्रश्न के रुप में मसला उठाया जाता है, लम्बी बहस चलती है और निर्णय भी दे दिये जाते हैं। इसमें कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : आपने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जो उपाध्यक्ष महोदय ने सदन में कहा था।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने वह किसी और विषय के बारे में कहा था। उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : उन्होंने मामला आपको भेज दिया था।

Shri Shnakar Dayal Singh : I rise on a point of order. Under Rule 361, whenever Mr. Speaker is on his legs, no Member would get up.

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रधान मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार भंग करने और सदन का अपमान करने के बारे में हमने एक शिकायत की थी। आज के आप के विनिर्णय को सुनकर मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने न्याय नहीं किया है... (**व्यवधान**)

श्री ए० के० एम० इसाहक : यह स्पष्ट रूप से अध्यक्ष महोदय पर आक्षेप है. . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे विनिर्णय के उपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : जिन लोगों ने शिकायत की थी, आपके विनिर्णय से उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। विशेषाधिकार भंग करने की हमारी शिकायत केवल कुछ सदस्यों द्वारा अपने प्रस्तावों को वापस लेने पर ही आधारित नहीं थी। मेरा विशेषाधिकार का प्रस्ताव वाणिज्य मन्त्री के खिलाफ था। यही नहीं, विरोधी पार्टियों के अनेक सदस्यों ने भी अन्य प्रस्ताव दिए थे। वे प्रस्ताव भी आपके विचाराधीन थे। इस बीच प्रधान मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री ने कुछ कार्यवाही की जो समाचारपत्रों में प्रकाशित हुई ओर जो दबाव मानी जा सकती है।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I rise on a point of order. Eight members, who had given notice of the motion, have made their personal explanations. Some of them asked for your protection and the protection of this House. Two of them demanded a Parliamentary probe into the matter. It is quite clear from whatever has been reported in the papers that they had been pressurised by the honourable Prime Minister. That is why there is a motion of Privilege against the Prime Minister.

अध्यक्ष महोदय : सदस्य अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतन्त्र हैं। केवल सदस्य कह सकते हैं कि उन पर दबाव डाला गया है। प्रधान मंत्री को बीच में लाना दूर की कोड़ी है। क्या कोई सदस्य यह कहने के लिए तैयार है कि उस पर दबाव डाला गया है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या आपने "नेशनल हेरल्ड" और "हिन्दुस्थान टाइम्स" पढ़ा है. . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यहाँ तो हम अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। कुछ भी विचार करने से पहले एक अन्य प्रस्ताव यह आता है कि समिति नियुक्त कर दी जाये। कुछ सदस्य यह कहेंगे कि "समिति का सभापति अध्यक्ष महोदय नियुक्त करें।" कोई अन्य सदस्य यह कहेगा कि "समिति का सभापति विरोधी पक्ष का होना चाहिए।" क्या यह अध्यक्ष का अपमान नहीं है, जबकि सब कुछ सदन के समक्ष ही है।

अनेक बार विरोधी पक्ष से मैं सहमत होता हूं और कई बार मेरा मतभेद भी होता है। मैंने अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैंने आपका ध्यान उस प्रस्ताव की ओर आकर्षित किया है जिस पर अनेक राजनितिक पार्टियों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किये हैं।

Mr. Speaker : There is not one single motion. There are 5 or 7 still pending. I would look into them, but I have not committed.

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रधान मंत्री द्वारा नियन्त्रित अखबार "नेशनल हेरल्ड" और इसके साथ साथ "हिन्दुस्तान टाइम्स" में यह छपा है कि प्रधान मंत्री ने दबाव संसद सदस्यों पर डाला।

अध्यक्ष महोदय : अब कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है। अब प्रो० मधु दण्डवते बोलें।

विशेषाधिकार का प्रश्न
QUESTION OF PRIVILEGE

चीनी उद्योग जांच आयोग के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही सम्बन्धि ज्ञापन को सभा के समक्ष रखने में सरकार की असफलता

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : 27 अगस्त को जब मैंने कृषि मंत्री श्री सी० सुब्रह्मण्यम के खिलाफ विशेषाधिकार का मामला उठाने की अनुमति मांगी थी, तब मैंने यह कहा था कि भार्गव आयोग ने राष्ट्रीयकरण के बारे में अपनी रिपोर्ट 15 मई, 1973 को प्रस्तुत कर दी थी और अन्तिम रिपोर्ट 27 फरवरी,

1974 को प्रस्तुत की गई थी। तब आपने कहा था कि रिपोर्ट पेश करने की तारीख 27 फरवरी, 1974 मानी जाय।

जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अनुसार रिपोर्ट पेश होने के छः महीने के भीतर-भीतर, सभा पटल पर रिपोर्ट ही नहीं, उस रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी ज्ञापन भी रखा जाना चाहिए।

26 अगस्त, 1974 को कृषि मन्त्री ने सभा पटल पर भार्गव आयोग की सभी रिपोर्टें रख दी हैं, परंतु उसके साथ की गई कार्यवाही सम्बन्धी जो ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, वह कार्यवाही का नहीं, बल्कि अकर्मण्यता का ज्ञापन है। ज्ञापन के पृष्ठ में यह कहा गया है कि सरकार को मामले की व्यापक जाँच करने और निर्णय पर पहुंचने के लिए और अधिक समय चाहिए। इसलिए अधिनियम के अनुसार ज्ञापन प्रस्तुत ही नहीं किया गया है। इस गम्भीर त्रुटि और अकर्मण्यता के गम्भीर आर्थिक परिणाम होने की आशंका है। राष्ट्रीयकरण के बारे में अनिश्चित होने की स्थिति से चीनी उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और राष्ट्रीयकरण से जो लाभ प्राप्त होते, उनसे हमें वंचित रहना पड़ा है। यह सदन का गम्भीर अपमान है और इसलिए मेरा यह विशेषाधिकार का प्रश्न है। मैं आपसे कृषि मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की अनुमति चाहता हूं।

औद्योगिक विकास और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और कृषि मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : इसमें दो प्रश्न उठते हैं। एक ज्ञापन की बातों के बारे में है। ज्ञापन में तथ्यों का ब्यौरा ही तो दिया जा सकता है। इसलिए क्या कार्यवाही की गई है और क्या नहीं की गई है, इसका ज्ञापन में उल्लेख किया गया है।

यदि माननीय सदस्य यह आरोप लगाते हैं कि सरकार को रिपोर्ट की जाँच में शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए थी तो मैं उनसे सहमत हो सकता हूं लेकिन निश्चय ही इस मामले को विशेषाधिकार के अंतर्गत नहीं उठाया जा सकता क्योंकि यह ज्ञापन ही नहीं है।

अतः मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि मैंने अधिनियम के उपबन्धों का पालन किया है। ज्ञापन में मैने आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में वर्तमान कार्य स्थिति का उल्लेख किया है अतः सदन को गुमराह करने या गलत तथ्य बयान करने का सवाल नहीं उठता। यदि माननीय सदस्य को इसमें सरकार की असफलता दिखाई देती है तो वह मामले को किसी भी रूप में उठा सकते हैं पर यह निश्चय ही विशेषाधिकार का मामला नही है।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Mr. Speaker, Sir, the report of the Sugar Inquiry Commission is not an interim report but it is a full and complete report.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय मैं एक निवेदन करना चाहता हूं जब इस मामले को विशेषाधिकार प्रस्ताव के रूप में उठाया गया था तो उस समय तक रिपोर्ट को सभा-पटल पर नहीं रखा गया था। प्रो० मधु दण्डवते ने इसे प्रेस में छपे समाचारों के आधार पर उठाया। उन्होंने कहा कि चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के संबंध में यह एक अंतरिम रिपोर्ट न होकर पूरी रिपोर्ट थी। यह रिपोर्ट सरकार को 1973 में दी गई थी। सरकार ने जानबूझ कर इस मामले में विलम्ब किया है ताकि मिलवाले इस अवधि के दौरान जो चाहे कर लें। सारा लाभ निकाल लेने के बाद जब कबाड रह जाएगा तो वह उसे सरकार को दे देंगे। श्री सुब्रह्मण्यम ने सदन को गुमराह किया है। उन्होंने पूरी परिपूर्ण रिपोर्ट को अंतरिम रिपोर्ट की संज्ञा दी है।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : Mr Speaker, Sir the Hindi version of the report should be laid on the Table of the House only then we can discuss the matter.

अध्यक्ष महोदय : मैने यह जानने का प्रयास किया है कि इसे किस प्रकार विशेषाधिकार के अंतर्गत रखा जा सकता है क्योंकि किसी मामले को खींच तान कर विशेषाधिकार के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। यह सरकार की असफलता से संबंधित है। आपने अपने ढंग से व्याख्या

[अध्यक्ष महोदय]

की है उन्होंने अपने ढंग से। रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही के अनुसार इसे ज्ञापन में शामिल किया जाना चाहिए था। रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही के संबंध में कोई नियम या कोई सीमा-बंदी है। इस सारे मामले पर नियम समिति में विचार करना होगा ताकि मैं इस बात का पता लगा सकू कि क्या रिपोर्ट पेश करने से पहले उस पर की गई कार्यवाही पूरी होनी चाहिए। मैंने इसके सभी पहलुओंपर विचार किया है और मैं इसे विशेषाधिकार के अंतर्गत स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं। अधिकाधिक इसे सरकार की असफलता माना जा सकता है। अब मुझे यह देखना है कि किस रूप में इसे सरकार की असफलता माना जाए। मैं इस विषय पर नियम समिति में विचार करूंगा। मैं इस बारे में कुछ ऐसा नही कहना चाहता जो पूर्वोदाहरण का रूप ले ले। अभी मुझे कुछ जानकारी नही है। ऐसी कई रिपोर्टें आती है। आपको याद होगा प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट के मामले में हमने कई वर्षों तक इंतजार किया था। अत: इस मामले को इस अवस्था में छोड दिया जाए।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : रिपोर्ट के पृष्ठ 3 पर सातवें पैराग्राफ में कहा गया है कि:

"हमें कुछ समय जाँच करने और निर्णय करने के बारे में....."इसका अर्थ यह है कि इसका उद्योग के राष्ट्रीयकरण से संबंध है। जहाँ तक उसका संबंध है रिपोर्ट एक वर्ष पूर्व दी गई थी आप चाहे इसे अंतरिम रिपोर्ट माने। दुर्भाग्यवश आप जब इसे सरकार की असफलता मानते मंत्री महोदय में इतनी विनम्रता भी नही कि वह इस पर खेद व्यक्त करे।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कुछ वास्तविक कठिनाइयां हो सकती है।

[श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी पीठासीन हुए]
[*Shri Dinesh Chandra Goswami in the Chair*]

सभापति महोदय : सभा पटल पर पत्र रखे जाएं।

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पास्वान शास्त्री) : खड हुए।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : सभापति महोदय मैं अल्पसंख्यक वर्ग की एक लड़की के साथ हुए बलात्कार के मामले की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैने इस संबंध में नोटिस भी दिया है।

सभापति महोदय : आप मेरी अनुमति लिए बिना बोल रहे हैं आप जो कुछ भी कहेंगे वह कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु :*

सभापति महोदय : मैं यह नहीं कहता कि आपने जो कुछ कहा है वह असंसदीय है। देश में काफी अल्पसंख्यक समुदाय हैं। यह कानून और व्यवस्था का मामला है। इसे सदन में लाने के लिए कुछ तरीका होना चाहिए।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित-आंग्ल-भारतीय): सभापति महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने अभी कहा देश में काफी अल्पसंख्यक समुदाय हैं। जब एक हरिजन औरत का बलात्कार होता है तो मामला सदन में उठाया जाता है। चूंकि यह अल्पसंख्यक जाति का मामला है आप कहते हैं यह महत्वपूर्ण नही। मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं कि इस मामले को आप स्थानीय लोगों की दया पर न छोड़कर एक विशेष ऐजंसी से जाँच कराएगें।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नही किया गया।

Not recorded.

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम केवल आपको नियम 377 के अंतर्गत नोटिस दे सकते है जो आपके पास 10 बजे से पहले पहुंच जाना चाहिए।

सभापति महोदय : 50 प्रस्ताव आए हैं हम केवल एक को ले सकते हैं। मैं इस प्रस्ताव पर विचार करने से इन्कार नही करता। इसे फिर किसी दिन लिया जा सकता है। आज विशेषाधिकार प्रस्ताव पर भी विचार करना है।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

गुजराथ नगरीय क्षेत्रों में खाली भूमि (अन्य संक्रमण प्रतिषेध) अधिनियम, 1974 तथा गुजराथ सरकार के आदेश और आदेशों को सभा-पटल पर रखने में विलम्ब बताने वाला वक्तव्य

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मोला पास्वान शास्त्री) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :— (एक) गुजरात राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1974 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत गुजरात नगरीय क्षेत्रों में खाली भूमि (अन्य संक्रमण प्रतिषेध) संशोधन अधिनियम, 1974 (1974 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 10) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 7 अगस्त, 1974 में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी-8365/74**]

(दो) गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात नगरीय क्षेत्र में खाली भूमि (अन्य संक्रमण प्रतिषेध) अधिनियम, 1972 की धारा 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत गुजरात सरकार के निम्नलिखित आदेशों की एक एक प्रति—

(1) श्री वाल्टर जैकब क्रिश्चियन तथा अन्य लोगों के मामलों में दिनांक 29 नवम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर/595/72

(2) श्री अब्दुल करीमभाई हजीनबी भाई के मामले में दिनांक 29 नवम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर/15/72

(3) श्री दिनेशभाई मोहनलाल देसाई के मामले में दिनांक 29 नवम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर/579/72

(4) श्री लालभाई देवचन्दशाह के मामले में दिनांक 3 दिसम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर/7073

(5) श्री चन्द्रकान्त छोटालाल देसाई के मामले में दिनांक 5 दिसम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर/11-13-14/72

(6) श्री संकलचन्द जयचन्द भाई पटेल के मामले में दिनांक 29 दिसम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर/755

(7) श्री धीरूभाई रणछोड़ भाई देसाई के मामले में दिनांक 15 दिसम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर/573/72

(8) श्री त्रिकमलाल रणछोड़ दास पंचाल के मामले में दिनांक 29 दिसम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी /एस आर/37/73

(9) श्री हमीरभाई कांजी भाई दोरिया के मामले में दिनांक 31 दिसम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर/635/72

(10) आदर्श कोआपरेटिव्ह इन्डस्ट्रीयल एस्टेट लिमिटेड के मामले में दिनांक 8 जनवरी, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर/573/72

(11) श्री के० एन० तनेजा के मामले में दिनांक 8 जनवरी, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर/576/73

(12) शुभसागर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में दिनांक 3 फरवरी, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर/78/73

(13) मैसर्स रुपम साइन एन्टरप्राइज के मामले में दिनांक 3 फरवरी, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर/29/73

(14) मैसर्स दूगर टेक्सटाइल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में दिनांक 13 फरवरी, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर/77/73

(15) महालक्ष्मी मेटल एण्ड रोलिंग फैक्टरी के मामले में दिनांक 13 फरवरी, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर/45/72

(16) श्री विजय स्टील रोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में दिनांक 13 फरवरी, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर/740

(17) ग्रेविटी इन्स्ट्रमेन्टस प्राइवेट लिमिटेड के मामले में दिनांक 19 फरवरी, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर/696/72

(18) विष्णु काटन जिनिंग फैक्टरी के मामले में 28 फरवरी, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर/644/72

(19) श्री चन्द्र सिन्ह गंभीर सिन्हा वानकेन्डा तालुक पालसाना के मामले में दिनांक 20 अप्रैल, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी-3074/25904-पांच

(20) श्री रामजी मोतीजी ठाकुरे, छोड़ासार तालुक सिटी के मामले में दिनांक 29 अप्रैल, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी-1474/17747/पांच

(21) श्री नरोदा सत्यनारायण कोआपरेटिव्ह हाउसिंग सोसाइटी, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 11 अप्रैल, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी-1473/85194/पांच ।

(22) श्री सूरजलाल मगनभाई पनेरीया, पन्नेरा परदी-तालुक बुलसार के मामले में दिनांक 18 अप्रैल, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी-2074/खा2152-पांच ।

(23) श्री शान्ति लाल रंगीलदास खाण्डवाला, सूरत के मामले में दिनांक 21 अप्रैल, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी-3073/खा/4937-पांच

(24) श्री देवजीभाई अम्बाभाई, जूनागढ़ के मामले में दिनांक 11 अप्रैल, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/2473/113882-पांच ।

(25) श्री रणछोड़भाई आत्माराम सोला तालुक, दसक्रोई के मामले में दिनांक 29 अप्रैल, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/1474/25599-पांच

(26) श्री पटेल भीखाभाई शंकरलाल, विशनगर के मामले में दिनांक 18 अप्रैल, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/2673/26480-पांच

(27) श्री महावीर कोआपरेटिव, हाऊसिंग सोसाइटी लिमिटेड, वादवन सुरेन्द्र नगर के मामले में दिनांक 16 अप्रैल, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी-3173/100063-पांच

(28) श्री ठाकुर भाई कुबेरभाई पटेल, पुना तालुक चोरीधासी के मामले में दिनांक 29 अप्रैल, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/3074/21742-पांच

(29) श्री ईश्वरभाई शिवलाल पटेल, नवरंगपुरा, तालुक दसक्रोई जिला अहमदाबाद के मामले में दिनांक 18 अप्रैल, 1974 का आदेश संख्या वीसीटी-1474/9197-पांच

(30) श्री इब्राहीम दाऊद नबीभाई, जमालपुर चकला के मामले में दिनांक 23 अप्रैल, 1974 का आदेश संख्या वीसीटी-1473/1238/74-पांच

(31) श्री रामभाई गीगाभाई एण्ड भानाभाई रतन जूनागढ के मामले में दिनांक 20 अप्रैल, 1974 का आदेश संख्या वीसीटी-2373/43756-पांच

(32) श्री महालक्ष्मी काटन जिनिंग फैक्टरी, धोलका के मामले में दिनांक 5 अप्रैल, 1974 का आदेश संख्या वीसीटी/एसआर/52/73

(33) मैसर्स रसिक साइन एन्टरप्राइज, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 5 अप्रैल, 1974 का आदेश संख्या वीसीटी/एस आर/654/72

(34) पिन्कु कारपोरेशन, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 7 अप्रैल, 1974 का आदेश संख्या वीसीटी/एसआर/130/73

(35) एसोसिएटिड लेबर, कारपोरेशन, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 20 अप्रैल, 1974 का आदेश संख्या वीसीटी/एसआर/638/72

(36) गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर, कम्पनी लिमिटेड बड़ौदा के मामले में दिनांक 22 अप्रैल, 1974 का आदेश संख्या वीसीटी/एस आर/89/73

(37) इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग प्रोडक्टस्, बड़ौदा के मामले में दिनांक 23 अप्रैल, 1974 आदेश संख्या वीसीटी/एस आर/45/73

(38) श्री इपोक्स इलैक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, बड़ौदा के मामले में दिनांक 23 अप्रैल, 1974 का आदेश संख्या वीसीटी/एस आर/38/73

(39) श्रीमती नवमालीकाबेन मनुभाई कामदार, बड़ौदा के मामले में दिनांक 27 अप्रैल, 1974 का आदेश संख्या वीसीटी/एस आर/53/73

(40) अम्बिका ब्रिक इन्डस्ट्रीज गोधरा के मामले में दिनांक 19 अप्रैल, 1974 का आदेश संख्या वीसीटी/एल एनडी डब्ल्यू एस/2228

(41) श्रीमती हरीगंगाबेन ईश्वरलाल, कतरगम, सूरत के मामले में दिनांक 20 अप्रैल, 1974 का आदेश संख्या वीसीटी/एस आर/258/72

(42) श्री राम पेपर, मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, सूरत के मामले में दिनांक 26 अप्रैल, 1974 का आदेश संख्या वीसीटी/आर जी/333

(43) वल्लभ ग्लास वर्क्स, वल्लभ, विद्यानगर, के मामले में दिनांक 5 अप्रैल, 1974 का आदेश संख्या टी एन सी/वीसीटी

(44) मैसर्स कृष्णामेटल इन्डस्ट्रीज नाडियाड के मामले में दिनांक 20 अप्रैल, 1974 का आदेश संख्या टीएनसी/वीसीटी/एस आर 164/डब्ल्यू एस/3780

(45) श्री रावजीभाई पुरुषोत्तम, उत्तरसांड, तालुका नडियाड के मामले में दिनांक 20 अप्रैल, 1974 का आदेश संख्या टीएनसी/वीसीटी/एस आर/202/डब्ल्यू एस/3772

(46) भगवती कोल्ड स्टोअरेज, नाडियाड के मामले में दिनांक 30 अप्रैल, 1974 का आदेश संख्या टी एन सी/वीसीटी/एस आर/175/ डब्ल्यू एस/3805

(47) श्री चतुर भाई लल्लुभाई पटेल, मोगुरी, तालुका आनन्द के मामले में दिनांक 20 अप्रैल, 1974 का आदेश संख्या टी एन सी/वीसीटी/एस आर/80/डब्ल्यू एस

(48) श्री विट्ठल भाई उत्तरसांद, तालुक नाडियाड के मामले में दिनांक 20 अप्रैल, 1974 का आदेश संख्या टी एन सी/वीसीटी/एस आर/80/डब्लुय एस/3665

(49) गुजरात केबल्स एण्ड ऐनामल्ड प्रोडक्टस प्राइवेट लिमिटेड, अंकलेश्वर के मामले में दिनांक 19 अप्रैल, 1974 का आदेश संख्या एलएनडी/वी एस टी/स्लिप-6590/डब्ल्यू एस-2337

(50) श्री शंकरजी उडाजी ठाकुर अम्बेथी, तालुक घोलका के मामले में दिनांक 16 मई, 1974 का आदेश संख्या वीसीटी-1474/41648-पांच

(51) श्री दुर्लभभाई लल्लुभाई, सांधियार, तालुक ओलपाड के मामले में दिनांक 27 मई, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी-3074/35848-पांच

(52) श्री नवसारी विभाग, कुष्ट रोग निवारण मंडल, नवसारी के मामले में दिनांक 27 मई, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी-2074/7511-पांच

(53) श्री धीरुभाई रणछोड़जी देसाई, वापी, तालुक पारदी के मामले में दिनांक 1 जून, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी-2074/1567-पांच

(54) श्री नत्थू भाई धन भाई अकवाडा, तालुक भावनगर के मामले में दिनांक 1 जून, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी-1874/37149-पांच

(55) श्री अम्बाजी माताजी देवस्थान मैनेजिंग कमेटी, पालनपुर के मामले में दिनांक 7 जून, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/1473/88747-पांच

(56) श्री हंसमुखलाल केशवलाल पटेल, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 14 जून, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी-1473/17882-पांच

(57) श्री कालीदास डाह्याभाई, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 5 जून, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी-3074/45215-पांच

(58) श्री पोपट लाल प्रेमचन्द एण्ड सुबोधचन्द्र पोपटलाल, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 24 जून, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी-1473/23044-पांच

(59) श्री जितेन्द्र पटेल, चेयरमैन, यशसागर, कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, अहमदाबाद के मामले में 25 जून, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी-1473/89045-पांच

(60) श्री वादालिया रसूलफतेह राजवदला तालुक, बंकानेर, राजकोट के मामले में दिनांक 27 जून, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी-2874/41649-पांच

(61) श्री छगनभाई पंजाभाई पटलवाडिया बिल तालुक, बड़ौदा के मामले में दिनांक 27 जून 1974 का आदेश संख्या वी सी टी-1774/37688-पांच

(62) स्टेट बैंक स्टाफ कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी (प्रस्तावित) बुलसर, के मामले में दिनांक 27 जून, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी-2072/1545-पांच

(63) एस टी एम्प्लाईज कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी (प्रस्तावित) वीरसाद, जिला कैरा के मामले में दिनांक 28 जून, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी–2473/113075-पांच

(64) श्री भीम सिंह गुलाब सिंह जाडेजा, राजकोट के मामले में दिनांक 10 जुलाई, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी-2874/47806-पांच

(65) श्री जमना दास मगन लाल, सूरत के मामले में दिनांक 16 जुलाई, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी–3073/141890-पांच

(66) दि कृष्णा कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, बड़ौदा के मामले में दिनांक 17, जुलाई, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी-1774/659-पांच

(67) सूकरूत को आपरेटिव इन्डस्ट्रीज, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 2 मई, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर/82/73

(68) गंगाधर काटन प्रेसिंग फैक्टरी, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 6 मई, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर/705/72

(69) मेसर्स ल्यूबी इंजीनियरिंग अहमदाबाद के मामले में दिनांक 6 मई, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर/705/72

(70) माधवपुर मार्केट शाप एण्ड वेयर हाउसिंग कोआपरेटिव, सोसाइटी लिमिटेड, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 14 मई, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर/119/73

(71) श्री जमुना दास नारायण दास, जेठा नन्द हरजानी, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 16 मई, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर/42/72

(72) मैसर्स कन्टीनेन्टल, इण्डस्ट्रीज अहमदाबाद के मामले में दिनांक 18 मई, 1974 का आदेश संख्या वी सी/एस आर/19/73

(73) श्री नाथुभाई कुबैर दास प्रजापति, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 18 मई, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर/118/73

(74) मैसर्स, बदनागरवाला डाइंग एण्ड प्रिंटिंग वर्क्स अहमदाबाद के मामले में दिनांक 30 मई, 1974 का आदेश संख्या सी वी सी टी/एस आर/507/72

(75) मैसर्स गनीभाई रहीमजी बदनागरवाला अहमदाबाद के मामले में दिनांक 30 मई, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर/508/72

(76) एलिसब्रिज शापिंग सेन्ट्रल ओनर्स एसोसिएशन अहमदाबाद के मामले में दिनांक 17 जून, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर/138/73

(77) श्रीमती लक्ष्मीबेन शिवाजी ठाकुर, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 6 जुलाई, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर/178/73

(78) मैसर्स इण्डियन केमिकल इण्डस्ट्रीज, राजकोट के मामले में दिनांक 13 मई, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/मामला संख्या 20।

(79) श्री दयालाल मूल, जी एण्ड श्री रावजी मूलजी उपलेथा के मामले में दिनांक 13 मई, 1974 का आदेश संख्या (खाली भूमि का मामला) संख्या 29

(80) मैसर्स, गुलदीप कारपोरेशन कोवादवा राजकोट के मामले में दिनांक 20 मई 1974 का आदेश संख्या (खाली भूमि का मामला) संख्या 16

(81) मोहनलाल दया भाई, बड़ेरा, राजकोट के मामले में दिनांक 30 मई, 1974 का आदेश संख्या (खाली भूमि का मामला) संख्या 30

(82) श्री वसन्तलाल पोपटलाल, मालवीय, गोंडल, जिला राजकोट के मामले में दिनांक, 21 मई, 1974 का आदेश संख्या (खाली भूमि का मामला) संख्या 21

(83) श्री हीरजी रत्न तथा अन्य उपलेखा के मामले में दिनांक 6 जून, 1974 का आदेश संख्या (खाली भूमि का मामला) संख्या 10

(84) कुमारी श्री हितेन्द्र कुमारी वा रसिककुमार सिन्हजी जाला, बंकानेर, के मामले में दिनांक 7 जून, 1974 का आदेश संख्या वीसीटी मामला संख्या 33

(85) मैसर्स, जगदम्बा पोटरी वर्क्स बंकानेर, के मामले में दिनांक 27 जून, 1974 का आदेश संख्या (खाली भूमि का मामला) संख्या 27

(86) श्री भारत रीफैक्टरी, मोरबी जिला राजकोट के मामले में 27 जून, 1974 का आदेश संख्या (खाली भूमि का मामला) संख्या 34

(87) श्री गोविन्दभाई रणछोडभाई, दलवाडी भडोच के मामले में दिनांक 1 मई, 1974 का आदेश संख्या भूमि/वीसीटी

(88) श्री वसन्तलाल भीखाभाई मिस्त्री, भड़ौच के मामले में दिनांक 1 मई, 1974 का आदेश संख्या एल एन डी/वीसीटी

(89) श्री हंसमुखलाल मगनलाल शाह, चपरा, लालअंकलेश्वर, के मामले में 1 मई, 1974 का आदेश संख्या भूमि/वीसीटी

(90) श्री जितेन्द्र जसभाई, पटेल, के मामले में दिनांक 1 मई, 1974 का आदेश संख्या एल एनडी/वीसीटी

(91) श्री आर० सी० सौदागर, के मामले में दिनांक 1 मई, 1974 का आदेश संख्या एल एन डी/वीसीटी

(92) श्री एम० बी० दलबाडी के मामले ले दिनांक 1 मई, 1974 का आदेश संख्या एल एन डी/वी सी टी

(93) श्री जे० के० पाण्डेया के मामले में दिनांक 1 मई, 1974 का आदेश संख्या भूमि (वी सी टी)

(94) श्री जयन्ती लाल भिखाभाई मोदी के मामले में दिनांक 1 मई, 1974 का आदेश संख्या भूमि (वी सी टी)

(95) श्री एन० सी० मोदी के मामले में दिनांक 8 मई, 1974 का आदेश संख्या एल एन डी वी०सी०टी०/44/74

(96) श्री पी० ए० शाह, पार्टनर, आनन्द इंजीनियरिंग वर्क्स भडौच के मामले में दिनांक 9 मई, 1974 का आदेश संख्या भूमि/वी सी टी

(97) श्री वी० एम० डोडाजी डायरेक्टर, कौको वरन प्राइवेट लिमिटेड के मामले में दिनांक 16 मई, 1974 का आदेश संख्या भूमि/वी सी टी/वासी

(98) तापी इंडस्ट्रीयल, कोआपरेटिव, सर्विस सोसाइटी (प्रस्तावित) के मामले में दिनांक 3 मई, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर/340

(99) जे एण्ड के इंडस्ट्रीज सूरत के मामले में दिनांक 7 मई, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी एस आर / 296/73

(100) श्री कान्तिलाल के० ठाकुर, पार्टनर आफ कमल टाइल्स के मामले में दिनांक 9 मई, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/ एस आर/ 332

(101) श्री राम कृष्ण इण्डस्ट्रीयल कोआपरेटिव सर्विस सोसायटी लिमिटेड, सूरत के मामले में दिनांक 5 जुलाई, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी / एस आर/ 279

(102) श्री गुलाब चन्द श्यामल, उत्पात जिला सूरत के मामले में दिनांक 5 जुलाई, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी / एस आर /316

(103) मेसर्स इनलैंड कायोजनिक प्राइवेट लिमिटेड बडौदा के मामले में दिनांक 2 मई, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी / एस आर /36/73

(104) श्री जाल राम कोल्ड स्टोरेज—आइस फैक्टरी, अमरेली के मामले में दिनांक 17 जून 1974 का आदेश संख्या सी०एच० एल एन डी/वीसीटी/691/74

(105) भारत सिमेंट पाइप इंडस्ट्रीज अमरेली के मामले में दिनांक 28 मई, 1974 का आदेश संख्या सी एच एल एन डी / वी सी टी/692 /74

(106) श्री श्रेयर्स एजूकेशन ट्रस्ट बडौदा के मामले में दिनांक 15 मई, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी / एस आर/ 65/73

(107) एलेम्बिक केमिकल वर्कस कम्पनी लिमिटेड बड़ौदा के मामले में दिनांक 18 मई, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी / एस आर/15/73

(108) साराभाई एम केमिकल्स (टोलिराड) (टेलीराड प्राइवेट लिमिटेड) बड़ौदा के मामले में दिनांक 4 जून, 1974 का आदेश संख्या, वीसीटी/एस आर/101/74

(109) श्री नीतिन भाई छोटाभाई देसाई एण्ड आदर्स बडौदा के मामले में 4 जून, 1974 का आदेश संख्या वीसीटी/एसआर/44/74

(110) श्री हरिभाई भीमभाई नाइक एण्ड आदर्स, बडौदा के मामले में दिनांक 4 जून, 1974 का आदेश संख्या वीसीटी/एसआर/44/73

(111) श्री सवाईलाल अमृतलाल सेठ, के० एम० हरिभाई भीमभाई नाइक के मामले में दिनांक 4 जून, 1974 का आदेश संख्या वीसीटी / एसआर / 43/73

(112) श्री अमर्रसिह रणछोर सोलंकी एण्ड आदर्स गडाडिया तालुक सवाली के मामले में दिनांक 26 जून, 1974 का आदेश संख्या वीसीटी । एसआर । 23 ।74

(113) श्री मोतीभाई कालीदास पटेल एण्ड आदर्स के मामले में दिनांक 5 जुलाई, 1974 का आदेश संख्या वीसीटी / एसआर / 95 73

(114) श्री लाइट पब्लिकेशन लिमिटेड, बडौदा के मामले में दिनांक 5 जुलाई, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर/ 16/73

(115) मेसर्स फल्यूड कंट्रोल्स, बडौदा के मामले में दिनांक 6 जुलाई, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी एस आर /115/74

(116) मेसर्स एलाइड कास्टिंग्ज, बडौदा के मामले में दिनांक 6 जुलाई, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी / एस आर /114/74

(117) मेसर्स ज्योति लिमिटेड, बडौदा के मामले में दिनांक 6 जुलाई, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी / एस आर /112/74

(118) श्री सूर्यकान्त सोमभाई पटेल के मामले में दिनांक 6 जुलाई, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी / एस आर / 34/74

(119) श्री एस० पी० पुरोहित, एटोर्नी, थीर कृषि मंगल—सोसाइटी, बडौदा के मामले में दिनांक 10 जुलाई, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी / एस आर /92/73

(120) यूनिटी इंडस्ट्रीज, जूनागड, जूनागड के मामले में 26 जून, 1974 का आदेश संख्या एल एन डी–2-सी–1481

(121) एस० के० इंडस्ट्रीज कोआपरेटिव सर्विस सोसाइटी लिमिटेड (प्रस्तावित), सूरत के मामले में दिनांक 11 जुलाई, 1974 का आदेश संख्या वीसीटी/एसआर/365

(122) मेसर्स दयाराम मेंटल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, बिल्लीमोरा के मामले में दिनांक 1 जून, 1974 का आदेश संख्या सीएच/वी सी टी/एस आर/2/1974

(123) अमलगमेटिड इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी लिमिटेड, बलसार के मामले में दिनांक 8 जुलाई, 1974 का आदेश संख्या सी एच/बी सी टी/एस आर/31/74

(124) राम रोलिंग मिल्स प्रा० लि०, नवसारी के मामले में दिनांक 15 जूलाई, 1974 का आदेश संख्या सी एच/वी सी टी/एस आर/18/73

(125) मैसर्स राजदीप सिरेमिक इन्डस्ट्रीज, मनियारी, तालुक मेहसाना के मामले में दिनांक 29 मई, 1974 का आदेश संख्या एल एन डी/एन ए/ एम/1272

(126) बाई जादीबेन, पत्नी—गंगाराम ल्लूदास, एन० के० ब्रदर्स, उंजा, तालुक सिद्धपुर के मालिक के मामले में दिनांक 16 जुलाई, 1974 का आदेश संख्या एल-एनडी/एनए डब्ल्यू एस/969

(127) पटेल एक्सपोर्ट कम्पनी नादियाद के मामले में दिनांक 13 मई, 1974 का आदेश संख्या टीएनसी/वीसीटी/एसआर–195/डब्ल्यू एस/7346

(128) श्री राजेन्द्र प्रसाद ईश्वर भाई पटेल के मामले में दिनांक 20 मई, 1974 का आदेश संख्या टीएनसी/वीसीटी/एसआर–212

(129) श्री मणिबेन, पत्नी पंजाबभाई जोधाबाई पटेल की अटारनी शक्तियां धारण करने वाले उमरेथ के श्री आर० जे० पटेल के मामले में दिनांक 31 मई, 1974 का आदेश संख्या टीएनसी/वीसीटी/एसआर 72/डब्ल्यू एस 735

(130) श्री छोटा भाई पंजाबभाई पटेल, नादियाद के मामले में दिनांक 31 मई, 1974 का आदेश संख्या टीएनसी/वीसीटी/एसआर 77/डब्ल्यू एस 3637

(131) उमरेथ, तालुका आनन्द के श्री चन्द्रकान्त चुनीलाल के मामले में दिनांक 31 मई, 1974 का आदेश संख्या टीएनसी/वीसीटी/ एसआर 111 डब्ल्यू एस 7396

(132) श्री अम्बा लाल हाथीभाई पटेल, पीपल तालुका नादियाद के मामले में दिनांक 31 मई, 1974 का आदेश संख्या टीएनसी/वीसीटी/एसआर/166/73

(133) मैसर्स नादियाद वायर नेटिंग इंडस्ट्रीज, नादियाद के मामले में दिनांक 31 मई, 1974 का आदेश संख्या टीएनसी/वीसीटी/एसआर 178/डब्ल्यू एस/7388

(134) बोरसाड आयल मिल, बोरसाड के मामले में दिनांक 7 जुन, 1974 का आदेश संख्या टीएनसी/वीसीटी/एस आर 87/डब्ल्यू एस 7422

(135) बोरसाड तालुक कोआपरेटिव काटन सेल एण्ड जिनिंग एण्ड प्रेसिंग सोसायटी बोरसाड के मामले में दिनांक 28 जून, 1974 का आदेश संख्या टीएनसी/वीसीटी/एसआर 140/डब्ल्यू एस/7235

(136) एलिराबेन सुपुत्री दुधाभाई जीवाभाई खदाना तालुक पेटलाद के मामले में दिनांक 28 जून, 1974 का आदेश संख्या टीएनसी/वीसीटी/एसआर 92 डब्ल्यूएस 7532

(137) श्री पीताम्बरदास जगजीवनदास दालवाडी, नादियाद के मामले में दिनांक 4 जुलाई, 1974 का आदेश संख्या टीएनसी/वीसीटी/एसआर 298/डब्ल्यु एस 7541

(138) श्री विजयकुमार छग्गनलाल मोहजी, तालुक मेहमदाबाद के मामले में दिनांक 11 जून, 1974 का आदेश संख्या टीएनसी/वीसीटी/एसआर/218/डब्ल्यू एस 7473

(139) श्री घनश्यामभाई गुलाबसिंह बघेला माहिज के मामले में दिनांक 11 जून, 1974 का आदेश संख्या टीएनसी/वीसीटी/एसआर/216/डब्ल्यू एस/7471

(140) श्री अम्बालाल नागजीभाई पटेल महिज तालुक महमदाबाद के मामले में दिनांक 11 जून, 1974 का आदेश संख्या टीएनसी/वीसीटी/एसआर 217/डब्ल्यू एस 7472

(141) श्री बाघजीभाई लल्लूभाई पटेल, नाडियाद के मामले में दिनांक 11 जून, 1974 का आदेश संख्या टीएनसी/वीसीटी/एसआर 240/डब्ल्यूएस/7467

(142) आनन्द तालुक कोआपरेटिव काटन एण्ड जिनिग एण्ड प्रेसिंग सोसाइटी लि० आनन्द के मामले में दिनांक 11 जून, 1974 का आदेश संख्या टीएनसी/वीसीटी/एसआर 196 डब्ल्यू एस 5524

(143) श्री छोटाभाई गोकल भाई, नरसांडा, नादियाद के मामले में दिनांक 11, जून, 1974 का आदेश संख्या टीएनसी/वीसीटी/एसआर 78

(144) मैसर्स पटेल एण्ड कम्पनी, बोरसाड के मामले में दिनांक 12 जुलाई, 1974 का आदेश संख्या टीएनसी/वीसीटी/एसआर 210

(145) मैसर्स मुकेश एण्ड कम्पनी, बोरसाड के मामले में दिनांक 12 जुलाई, 1974 का आदेश संख्या टीएनसी/वीसीटी/एसआर 209/डब्ल्यु एस

(146) आनन्द पटेल ट्रक फैक्टरी, आनन्द के मामले में दिनांक 12 जुलाई, 1974 का आदेश संख्या टीएनसी/वीसीटी/एसआर 103/डब्ल्यु एस

(147) उत्तरसांडा कलावनी मण्डल, उत्तरसांडा के मामले में दिनांक 12 जुलाई, 1974 का आदेश संख्या टीएनसी/वीसीटी/एसआर 250/डब्ल्यु एस 7916

(148) पावर केबल्स प्रा० लिमिटेड, नादियाद के मामले में दिनांक 15 जुलाई, 1974 का आदेश संख्या टीएनसी/वीसीटी/एसआर/125/डब्ल्यु एस 4004

(149) एमरजेंसी मेकेनिक वर्क्स सुरेन्द्र नगर, के मामले में दिनांक 10 मई, 1974 का आदेश संख्या वीसीटी/वी/1433

(150) श्री डी० सी० इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लिम्बदी के मामले में दिनांक 14 मई, 1974 का आदेश संख्या वीसीटी/वी/57/74

(151) श्री भारत जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्टरी, सुरेन्द्रनगर, के मामले में दिनांक 20 मई, 1974 का आदेश संख्या वीसीटी/वी/1509/73

(152) श्री सौराष्ट्र स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सुरेन्द्रनगर के मामले में दिनांक 10 जून 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/वी/56/74

(153) मैसर्स अम्बा मैकेनिक वर्क्स, सुरेन्द्र नगर के मामले में दिनांक 21 जून, 1974 का आदेश संख्या वीसीटी/वी/475/74

(154) श्री महावीर मण्डल इंडस्ट्रीज, सुरेन्द्र नगर के मामले में दिनांक 27 जून, 1974 का आदेश संख्या वीसीटी/वी/2968

(155) श्री सुरेन्द्रनगर उद्योगनगर सहकारी मण्डली लिमिटेड, सुरेन्द्रनगर के मामले में दिनांक 6 जुलाई, 1974 का आदेश संख्या वीसीटी/वी/1117

(156) श्री खटकी उमरभाई कालुभाई के मामले में दिनांक 12 जुलाई, 1974 का आदेश संख्या वीसीटी/वी/1788

(157) मैसर्स सुकेतु टैक्सटाइल, सुरेन्द्रनगर, के मामले में दिनांक 15 जुलाई, 1974 का आदेश संख्या वीसीटी/वी/1637

(ख) (एक) उपर्युक्त आदेशों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब तथा (दो) उनके हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी० 8366/74]

श्री ज्योतिर्मय बसु : मद संख्या 2(क) (1) में उल्लिखित 29 नवम्बर, 1973 का आदेश तथा बाद के दो आदेश सदन में बहुत पहले रखे जाने थे । मंत्री महोदय स्पष्ट करें ।

Shri Bhola Paswan Shastri : Reasons has already been stated. President's Rule was promulgated in Gujarat on 9th February, 1974. We were informed on 29th July. The House was not in session those days and therefore we sent it to Parliament on 19th August. Therefore, there is no lapse on our part.

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : I rise on a point of order. Hindi Version of the statement has not been laid. The hon. Minister may please state as to when it will be laid.

Shri Bhola Paswan Shastri : Two points have been raised. First is why the statement was not laid in Feb.-March when the House was in session. The fact is that there was change in Government when President Rule was promulgated. Therefore, Papers were not sent to me.

So far as the question of supply of Hindi version is concerned, I agree that it should come in Hindi also. But, since it was very voluminous paper, it was translated only in English and it was not considered necessary to lay Hindi version also (*interruptions*).

Shri Shankar Dayal Singh : How can the hon. Minister violate Constitution? He should say that it will be laid in Hindi.

Shri Bhola Paswan Shastri : I never said that Hindi version shold not be laid. Principally, I agree with the hon. Member that it should come in Hindi language also.

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मंत्री महोदय ने बताया कि उन्हें अधिसूचना 20 जुलाई को प्राप्त हुई । क्या उन्होंने इस बारे में गुजरात सरकार के अधिकारियों से स्पष्टिकरण मांगा था कि उन्होंने इतना विलम्ब क्यों किया ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को इतना दृढ़ नहीं होना चाहिए ।

गुजरात के बारे में उद्घोषणा

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : मैं गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खंड 3(ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात निजी वन (अर्जन) अधिनियम, 1972 की धारा 22 की उपधारा (1) के अन्तर्गत गुजरात निजी वन (अर्जन) नियम, 1974 के हिन्दी संस्करण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 4 अप्रैल, 1974 में अधिसूचना संख्या जी० एच० के० एच०-51 : 74 पी० आर० एफ०-1973-74-354-पी० में प्रकाशित हुये थे। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8367/74]**

Shri Jyotirmoy Basu : (Diamond Harbour) : The order was issued on 9th February 1974. He has taken seven months.

अध्यक्ष महोदय : मेरे भी अपने कुछ सुझाव है।

कम्पनि अधिनियम 1956 के अधीन प्रतिवेदन

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) पंजाब कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ का वर्ष 1971-72 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) मैसूर राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेख तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(तीन) हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, शिमला का वर्ष, 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिपणियां।

(2) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—8368/74]

श्री ज्योतिर्मय बसु : पंजाब कृषि उद्योग निगम लिमिटेड की 1971-72 की रिपोर्ट है। दूसरा प्रतिवेदन 1972-73 और तीसरा हिमाचल प्रदेश कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड का वर्ष 1972-73 का प्रतिवेदन है। वह इतनी देर से इस पर क्या कर रहे थे।

श्री सेझियान : उन्होंने कारण पहले बता दिये हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसू : मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता।

पारादीप पत्तन व्यास का वर्ष 1972-73 का प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): मैं श्री प्रणव कुमार मुखर्जी की ओर से मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष, 1972-73 के वार्षिक लेखे तथा तत्संबंधी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं **(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 8369/74)**

देश की समुद्री सीमा में समुद्र के नीचे भूमि के स्वामित्व के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: OWNERSHIP OF LAND BELOW THE SEA WITHIN TERRITORIAL WATERS

Shri Madhu Limaye (Banka) : I have a point of order. Is it being taken up under Rule 372. or Direction 115,? May I know whether it is being taken up under Rule 357 relating to personal explanation.

Mr. Speaker : When his statement has come you have raised new points which I sent to him for clarification.

Shri Madhu Limaye : I have a privilege issue. I should also be given an opportunity to speak afterwards.

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसमें विशेषाधिकार का कोई आधार नहीं दिखाई देता । मैंने मंत्री महोदय को उत्तर देने को कहा है । उसके बाद आप अपनी बात कह सकते हैं ।

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर०गोखले) : इससे पूर्व 2 मई, 1974 को मैंने जो वक्तव्य दिया था उसमें मैंने महाराष्ट्र सरकार द्वारा तटाग्र भूमि की बाबत बनाई गई सुधार स्कीम के प्रति निर्देश किया था और यह कहा था कि राज्य सरकार का तटाग्र भूमि का सुधार करने का अधिकार स्थानीय विधान पर आधारित है और उससे संविधान के अनुच्छेद 297 का उल्लंघन नहीं हुआ है । इस प्रकार मैंने तटाग्र भूमि के सुधार के बारे में विधिक स्थिति स्पष्ट की थी । उस समय मैंने यह नहीं कहा था कि महाराष्ट्र स्कीम केवल तटाग्र भूमि तक सीमित है ।

2. 8 मई, 1974 को दी गई एक सूचना में सदस्य महोदय ने यह अभिकथन किया कि मैंने यह गलत कथन किया था कि महाराष्ट्र स्कीम तटाग्र भूमि तक सीमित है । 8 अगस्त, 1974 को मैंने इस अभिकथन का खंडन किया । उसके पश्चात् तारीख 16 अगस्त, 1974 की एक सूचना में सदस्य महोदय ने यह साबित करने का प्रयास किया कि मैंने गलत कथन किस प्रकार किया था । मेरा निवेदन है कि मैंने यह कभी नहीं कहा कि महाराष्ट्र स्कीम केवल तटाग्र भूमि तक सीमित है । इस मामले के तथ्य संबंधी पहलू के बारे में कुछ कहने का मेरा आशय कभी नहीं था क्योंकि मेरा संबंध तो मामले के विधिक पहलू से है । तथ्य संबंधी पहलुओं की बाबत अर्थात इस बाबत कि क्या उस स्कीम के अन्तर्गत तटाग्र भूमि से परे की भूमि भी आती है, कुछ कहने का मेरा कोई विचार भी नहीं है ।

Shri Madhu Limaye : The statement dated 2nd May contained that reclamation of the fore shore by the Mahasthra Government under the scheme of reclamation formulated by them did not contravene Article 297 of the constitutions.

Does it mean that this scheme is confined to foreshore.

अध्यक्षमहोदय : मेरा इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । यह कानूनी मामला है ।

Shri Madhu Limaye : The land under the territorial waters also comes under it. This I can prove by producing Maps Law. Plots of land worth Rs. 2.80 crores have been sold whereas they are qualifying that the scheme is confined to foreshore. I can prove from the maps that some of the plots sold are definately under the territorial waters.

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका निर्णय लेने के लिये यहां नहीं बैठा हूँ । कानूनी पहलुओं से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है ।

Shri Madhu Limaye : What is the legal matter involved in it. You can call both the Ministers and the members of the opposition in your Chamber.

Mr. Speaker: I cannot accept that position.

Shri Madhu Limaye: The Minister has told a blatant lie. You are letting him free.

Mr. Speaker: I won't do that.

Shri Madhu Limaye : This is a matter of privilege of the House. Anyhow I let you out of it.

Mr. Speaker: Who are you to do that?

हड़ताल की अवधि के लिए रेल कर्मचारियों की भुगतान के बारें में तारांकित प्रश्न संख्या 225 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के बारें में सदस्य द्वारा वक्तव्य

STATEMENT BY MEMBER RE. REPLY TO SUPPLEMENTARY ON S. Q. NO. 225 ABOUT PAYMENT TO RAILWAY EMPLOYEES DURING STRIKE PERIOD.

श्रीमती पार्वती कृष्णन : 6 अगस्त, 1974 को तारांकित प्रश्न संख्या 225 से उत्पन्न एक अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते श्री मोहम्मद शफी कुरेशी ने एक ऐसा उत्तर दिया जो कि तथ्यों के विपरित था।

मेरा अनुपूरक प्रश्न इस प्रकार था :—

"श्रीमन मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि इन बहाली के मामलों में से कितने मामलों में पदावनति की गई है ?"

उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा कि . . . " सभी अपीलों पर योग्यतानुसार निर्णय किया जा रहा है। ये सभी व्यक्ति उनके मूल पदों पर ले लिये गये हैं। अब तक पदावनति का कोई मामला नहीं हुआ।"

श्रीमन, मेरे पास इस के संबंध में दस्तावेजी प्रमाण हैं कि मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में सही जानकारी नहीं दी थी। एक उदाहरण के रूप में, 16 जुलाई, 1974 को अर्थात् मंत्री महोदय के वक्तव्य से तीन सप्ताह पहले, उत्तर रेल्वे के इलाहाबाद डिवीजन में एक कर्मचारी श्री जे० पी० श्रीवास्तव के लिये निम्न-लिखित आदेश जारी किया गया :—

पत्र संख्या 230 इलैक्ट/आर० एम० ओ०/कोन्फ०/जेड० जेड०/74(अपील/127 ए०/1974 दिनांक 16-7-74)

डी० पी० ओ० एन० रेल्वे, इलाहाबाद की ओर से श्री जे० पी० श्रीवास्तव द्वारा टी० एफ० आर० इलाहाबाद को डिवीजन सुपरिन्टैन्डेन्ट ने आपकी उपरोक्त अपील पर नियम, 1968 के संदर्भ में विचार किया है और निम्नलिखित आदेश जारी किया है जिसे कृपया नोट कर लिया जाये :—

वह हड़ताल में एक सक्रिय रूप से भाग लेने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने प्रेस को भी ऐसे वक्तव्य दिये थे जिनमें लोगों को हड़ताल के लिये उकसाया गया था। हम उन्हें काम पर वापस तो ले लेंगे परन्तु उन्हें स्थायी रूप से फायरमैन ग्रेड "सी" के पद पर पदावनत कर दिया जाये और उनकी सेवा में अवरोध कर दिया जाये।

अत: आप को निर्देश दिया जाता है कि आप तुरन्त ही फायरमैन ग्रेड "सी" के पद पर ड्यूटी देने के लिये लोको फोरमैन, इलाहाबाद के पास पहुंचे। आपकी बरखास्तगी की तारीख और बहाली की तारीख के बीच की अवधि को सभी अभिप्रायों के लिये आपकी सेवा में अवरोध माना जायेगा।"

[श्रीमती पार्वती कृष्णन]

इस आदेश से, जोकि ऐसे अनेक आदेशों का एक नमूना मात्र है, से स्पष्ट है कि मंत्री महोदय ने सभा को ग़लत जानकारी दी है और शोषण के मामलों में उनके मंत्रालय में जो कुछ हो रहा है उससे भी वे परिचित नहीं हैं। छोटे छोटे अधिकारी रेलवे कर्मचारियों को परेशान करने के लिये अपनी शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं और इसके फलस्वरुप भविष्य में रेलवे की सामान्य सेवाओं को खतरा है।

मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय को अपना उत्तर सही करने को कहा जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्री ललित नारायण मिश्र भी सदन में उपस्थित है। कार्य सूची में उनका नाम है। आपका निदेश भी है कि मंत्री उपस्थित हो तो उसे उत्तर देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने श्री कुरेशी के नाम का उल्लेख किया है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : मूल उत्तर श्री कुरेशी ने दिया था।

अध्यक्ष महोदय : कोई अन्य मंत्री भी उत्तर दे सकता है।

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : 6 अगस्त, 1974 को तारांकित प्रश्न 225 के पुरक प्रश्नों के दौरान श्रीमती पार्वती कृष्णन उन व्यक्तियों की संख्या जानना चाहती थीं जिन्हें बहाल किये जाने पर पदावनत कर दिया गया है। उत्तर देते समय मैंने यह सूचना दी थी की सामान्यतः इन सभी व्यक्तियों को मूल पदों पर लगाया गया है। क्योंकि मेरी जानकारी में, उस समय, पुनः सेवा में लेते समय किसी भी व्यक्ति को पदावनत नहीं किया गया था।

बादमें मैंने स्थिति की जांच की और मुझे मालूम हुआ है कि जिन कर्मचारियों को पुनः सेवा में लिया गया है, उनमें से किसी को भी निम्नतर पद पर पदावनत किये बिना उनके मूल पदों पर रखा गया है। दक्षिण मध्य रेलवे पर एक मामला हुआ है जहां एक नायक को, जो 200–240 रुपये के संशोधित वेतनमान में था, एक चपरासी के रूप में 196–232 रुपये के वेतनमान में पुनः सेवा में लिया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे पर "ए" ग्रेड के चार फोरमैनों को, जो अपने पदों पर तदर्थ स्थानापन्न रुप में काम कर रहे थे, "बी" ग्रेड के फोरमैन के रुप में लगाया गया, जिस ओहदे पर वे तदर्थ पदोन्नति से पूर्व थे। यह व्यवस्था मात्र अन्तरकालीन थी और इस उच्चतर ग्रेड के लिए उनका विधिवत चयन नहीं किया गया था।

जहां तक श्रीमती पार्वती कृष्णन द्वारा उल्लिखित मामले का सम्बन्ध है, तथ्य यह है कि श्री जे० पी० श्रीवास्तव, सहायक ड्राइवर (बिजली) को 15–5–1974 को सेवा से हटा दिया गया था। उनकी अपील पर, 16–7–74 को उन्हें फायरमैन के रुप में फिर ले लिया गया था। वह पुनः उपयुक्त प्राधिकारी को अपना अभ्यावेदन दे सकते हैं और तब इस पर फिर से विचार किया जायेगा।

श्रीमती पार्वती कृष्णन को उत्तर देते समय मैंने स्पष्ट रुप से बता दिया था कि सभी अपीलों पर गुण-दोष के आधार पर विनिश्चय किया जा रहा है। अपीलों की जांच करने पर जब यह पाया जाता है कि कर्मचारी द्वारा किय गये अपराध पर सदयता से विचार किया जा सकता है तब अनुशासन और अपील नियमों में निर्दिष्ट दण्डों में से अपेक्षाकृत कोई कम दण्ड दिया जाता है और कर्मचारी को पुनः ड्यूटी पर ले लिया जाता है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : वक्तव्य से स्पष्ट हो गया है कि श्रीमती पार्वती कृष्णन द्वारा बताए गए तथ्य ठीक हैं। ऐसे अनेक मामले हैं कि बहाल किए गए श्रमिकों की पदोन्नति की गई है।**(अन्तरबाधाएं)**

व्याज कर विधेयक
INTEREST TAX BILL

वित्त मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं प्रस्ताव करता हुं कि कुछ दशाओं में व्याज पर विशेष कर अधिरोपित करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि "कि कुछ दशाओं में व्याज पर विशेष कर अधिरोपित करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री के० आर० गणेश : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हुं ।

रुग्ण कपडा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधेयक
SICK TEXTILES UNDERTAKINGS (NATIONALISATION) BILL

औद्योगिक विकास और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : मै प्रस्ताव करता हुं कि : प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रुग्ण कपडा उपक्रमों का इस दृष्टि से पुनर्गठन और पुनरुद्धार करने के लिये कि विभिन्न प्रकार के कपडे और धागे के उत्पादन में वृद्धि और उचित कीमतों पर उनके वितरण द्वारा जनसाधारण का हित साधन हो सके, ऐसे रुग्ण कपड़ा उपक्रमों के सम्बन्ध में स्वामियों के अधिकार, हक और हित के अर्जन और अन्तरण का और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : This is a long awaited measure. But I oppose the provision relating to compensation. In fact, I request that it may be explained in the House why they are supporting it.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : जिस समय विधेयक पर विचार किया जायेगा उस समय यह बात स्पष्ट कर दी जायेगी ।

Shri Madhu Limaye : I have simply raised the question of principle. I was to know on what principles the scheme of compensation has been framed.

Mr. Speaker: It would be explained at the consideration stage.

प्रश्न यह है :

"कि प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रुग्ण कपडा उपक्रमों का इस दृष्टि से पुनर्गठन औरपुनरुद्धार करने के लिए कि विभिन्न प्रकार के कपडे और धागे के उत्पादन में वृद्धि और उचित कीमतों पर उनके वितरण द्वारा जनसाधारण का हित साधन हो सके, ऐसे रुग्ण कपड़ा उपक्रमों के सम्बन्ध में स्वामियों के अधिकार, हक और हित के अर्जन और अन्तरण का और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

संविधान (6 वां) संशोधन विधेयक

CONSTITUTION (THIRTY-SIXTH) AMENDMENT BILL

विदेश मंत्री (श्री स्वर्णसिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मेरी यह स्पष्ट राय है कि यह विधेयक उन आदर्शों के विरुद्ध हैं जिन्होंने हमारे गणतन्त्र के निर्माताओं को स्फूर्ति प्रदान की थी । उन्होंने भूटान और सिक्किम की विशेष समस्याओं को मान्यता दी । संविधान सभा में एक संकल्प प्रस्तुत करते हुए पंडित नेहरु ने कहा था कि भूटान और सिक्किम की विशेष समस्याओं को मान्यता देनी होगी । यह विशेष संबंध सिक्किम के लोगों की आकांक्षाओं और मौलिक अधिकारों एवं भारत के हित के आधार पर था ।

हमारी संघ की भावना के भी यह विरुद्ध है । यह बात हमारे सामने स्पष्ट होनी चाहिये कि संविधान के इस संशोधन के द्वारा हम संघ के अपने ढांचे को ढीला कर रहे हैं । यह पंढोरा के सन्दूक को खोलने के समान है । संविधान में संगठन की बात कहीं पर नहीं है । अत: मेरा नम्र निवेदन है कि इसके द्वारा हमारे संविधान का ढांचा कमजोर होगा ।

संविधान के दो प्रकार के अस्तित्वों को स्वीकार किया गया है । एक अवस्था वह है जब अनुच्छेद 2 के अन्तर्गत किसी राज्य के प्रवेश को मंजूरी दी जाये और दूसरी अवस्था है किसी नये राज्य का गठन । इन दोनों अस्तित्वों का अनुच्छेद 1 में भी उल्लेख है परन्तु अनुच्छद 1 में सहयोगी राज्य का कोई उल्लेख नहीं ।

संविधान में संसद में प्रतिनिधित्व के संबंध में एक विशेष योजना है । संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार केवल वही संसद का सदस्य बन सकता है जो भारत का नागरिक हो और अन्य अर्हताएं रखता हो । संविधान के अनुच्छेद 102 में कुछ ऐसी अनर्हताओं का उल्लेख है जिसके होते हुए कोई भी संसद सदस्य नहीं बन सकता । परन्तु अब इस संशोधन विधेयक के द्वारा इन अनर्हताओं का उत्साहन किया जा रहा है । परन्तु इसमें अनुच्छेद 84 का कोई उल्लेख नहीं है ।

मेरा अनुरोध है कि अनुच्छेद 102 के उत्साहन मात्र से ही अनुच्छेद 84 का स्वत: उत्साहन नहीं हो जाता । तब धारा 5 के द्वारा जो व्यवस्था की जा रही है उसके पीछे कोई सक्ति नहीं है । जब इस विधेयक के द्वारा हम संविधान का संशोधन कर रहे हैं तो यह समझा जा रहा है कि सदन अपने आप को संविधान सभा में परिवर्तित कर रहा है । इस प्रकार सदन को सिक्किम की विधान सभा के समान किया जा रहा है । आज तो सिक्किम की विधान सभा ने ऐसा करने को कहा है परन्तु कल को यदि वह विधान सभा भिन्न रुख अपना ले तो हमारी स्थिति क्या होगी । धारा 4 में कुछ आश्वासन हैं परन्तु ऐसा कोई आश्वासन प्राप्त नहीं कि सिक्किम विधान सभा द्वारा उनका पालन किया जायेगा । संविधान सिक्किम के राजनैतिक विचारों पर आधारित नहीं हो सकता । हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने सिक्किम के लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखा था । हमें अस्थायी परिवर्तनों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिये ।

हम अजनबी लोगों को सभा में प्रतिनिधित्व दे रहे हैं । हमारे कानून सिक्किम के लोगों पर लागु नहीं होते । परन्तू उनके बनाने में उन्हें सम्बद्ध किया जा रहा है । वे भारत के नागरिक नहीं परन्तु सभा के उन्हें सदस्य बनाया जा रहा है । इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा कि इससे संघ के भवितव्य क्या होगा ? यह वर्तमान नेताओं की अदूरदर्शिता एवं अपरिपक्वता का परिचायक है ।

हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने उस समय चल रहे आन्दोलन के बावजूद सिक्किम को भारत में मिलाने की बात को नहीं माना था। हम विश्व के लोगों को यह नहीं बताना चाहते कि हम किसी के क्षेत्र को हड़पना चाहते हैं। कोई भी सदस्य इस बात को नहीं चाहेगा कि इस विधेयक का यह आशय बताया जाये। सरकार का भी कतई यह आशय नहीं है। परन्तु सरकार इसके द्वारा यह विश्वास पैदा कर देगी। हमारे राष्ट्र निर्माता भारत और सिक्किम के बीच विशेष संबंध रखना चाहते थे। उन संबंधों को बनाए रखा जाना चाहिय।

[**श्री नवल किशोर सिंह** पीठासीन हुए
SHRI NAWAL KISHORE SINHA *in the Chair*]

इसके कई अन्तर्राष्ट्रीय कुपरिणाम भी निकल सकते हैं।

श्री विक्रम महाजन (कांगडा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस अवस्था पर केवल संवैधानिक आपत्तियां ही उठाई जा सकती हैं। अतः माननीय सदस्य को उन्हीं तक सीमित रहना चाहिये। इनके लिए समय की भी सीमा नियत की जानी चाहिये और जो कुछ कहा जा रहा है हमें भी उसका विरोध करने का अवसर दिया जाना चाहिये।

सभापति महोदय : आप उनकी बातों का उत्तर दे सकते हैं, परन्तु जो कुछ उन्होंने कहा है उन्होंने अपनी सीमा के अन्दर रह कर कहा है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करने का विरोध कर रहा हूँ इसलिये मुझे इस समय कुछ अन्य बातोंका भी उल्लेख करना है। जब मैं संवैधानिक अनौचित्य का उल्लेख कर रहा था तो मैं भावनाओं में नहीं बह रहा था। गणतंत्र और राजतंत्र के सिद्धांतों में कोई मेल नहीं है।

श्री विक्रम महाजन(कांगडा) : * * *

***श्री श्यामनन्दन मिश्र** : * * * मेरे विचार में यह व्यवस्था न्यायिक छानबीन करने पर सही नहीं मानी जायेगी और इसलिये मैं सरकार को सलाह देता हूँ कि वह इसको वापस ले ले।

श्री समर गुह (कंटाई) : इस प्रकार का उपहास कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जान चाहिये।

सभापति महोदय : मैं इस बात से सहमत हूँ और इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्बर) : मैं सिक्किम को आत्मसात करने के लिये जल्दबाजी से की गई इस व्यवस्था का विरोध करता हूँ। इसका अर्थ सिक्किम को लोकतंत्र और पूर्ण स्वायत्तता से वंचित करना है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस जल्दबाजी के क्या कारण हैं? यह एक असंवैधानिक एवं अलोकतंत्रीय व्यवस्था है जिससे गम्भीर संदेह पैदा हो जायेंगे। सिक्किम की जनता को इस बारे में स्वयं निर्णय करना चाहिये।

सिक्किम से निर्वाचित प्रतिनिधि अनुच्छेद 84 में उल्लिखित शर्तों को पूरा नही कर सकेंगे फिर इन सदस्यों की नागरिकता कौन-सी मानी जायेगी? उक्त अनुच्छेद के अंतर्गत सिक्किम का कोई नागरिक संसद का सदस्य कैसे हो सकता है? क्या उन्हें दोहरी नागरिकता प्रदान की जायेगी; सिक्किम के सदस्य भारतीय नागरिक नहीं होंगे, अतः अनुच्छेद 5 के उपबन्धों का पालन नही हो सकेगा। फिर अनुच्छेद 81 के उपबन्धों का भी पालन नहीं होगा।

***अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।
Expunged as ordered by the chair.

[श्री ज्योतिर्मय बसु]

इस विधेयक में उनको संसद सदस्य बनाने की व्यवस्था की गई है, परन्तु उन्हें राष्ट्रपति अथवा उप-राष्ट्रपति चुनने का अधिकार नहीं होगा। संसद की अवहेलना करके जल्दबाजी में यह कार्यवाही की गई है। एक ओर चोग्याल का समर्थन किया जा रहा है तो दूसरी ओर विधान मंडल का, जिसपर एक भारतीय नौकर शाह का नियंत्रण है। वह निर्वाचित नहीं है, परन्तु वह विधान सभा का विघटन कर सकता है। वहां की जनता की राय लोकतंत्रीय शासन के पक्ष में हैं परन्तु वे भारत के साथ विलय के पक्ष में नहीं, क्योंकि उनकी प्रतिव्यक्ति आय भारत में प्रतिव्यक्ति आय से कहीं अधिक है। सिक्किम कांग्रेस के नेताओं की स्थिति, जिसको सिक्किम की जनता की लोकप्रिय और लोकतंत्रीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है, संदिग्ध है। * * *

श्री हरिकिशोर सिंह (पपड़ी) : इसको कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाना चाहिये।

श्री विक्रम महाजन (कांगडा) : इसको कार्यवाही वृतान्त से निकाल देना चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसके गम्भीर अन्तर्राष्ट्रीय परिणाम निकलेंगे जिनपर माननीय सदस्यों को शान्त मन से और बिना किसी प्रकार की उत्तेजना के विचार करना चाहिये। इस विधेयक से साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों की झलक मिलती है (**व्यवधान**) इससे चीन के साथ सम्बन्ध सुधारने के लिये किये जा रहे प्रयासों को शायद धक्का लगेगा। हमारे आसपास के छोटे राष्ट्रों के साथ संबंधी पर भी इसका विपरित प्रभाव पड़ सकता है। विदेश मंत्री को इन सब बातों पर विचार करना चाहिये। इससे हमारी लोकतंत्र प्रणाली और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को खतरा है। अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I would like to express my veiws on this Bill irrespective of party affiliations. of all I may express my fear that hasty decision of our Government may not meet the fact of United Arab Republic. The Government has not taken opposition parties into confidence. The treaty between India and Sikkim has never been discussed in this House. A resolution was passed by the new Assembly of Sikkim on 11th May.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair.*]

The Government of India has introduced a Constitution Amendment Bill based on the aforesaid Resolution of the new Assembly of Sikkim. But, I feel that it is not a well drafted Bill because many aspects have not been properly examined. We should have given serious thought towards the fact that what would be the form of Indian Union after passing the Bill. It has been stated in Article of our constitution that India shall be a Union of states and we do not know from where this 'Associate status' has cropped up. So, is it not necessary to modify Article 1 of the constitution to meet the new situation? It has also been defined that three types of territories can form part of India. *viz.* : (a) the territories of the States;

(b) The Union Territories specified in the First schedule; and

(c) such other territories as may be acquired.

Now, can we say that we shall acquire Sikkim? I don't think it can be covered under this category. There a new category (d) shoud be added such as those states which accede to Indian Union, of their own free will. If they want to give special status to any state, then it shold be discussed in this House. But if they try to modify the entire constitutional structure hastily, then serious repercussions may be there. Sir, Many other principles are also involved in this matter. It has no where been mentioned in the Bill that the people of

***अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

Expunged as ordered by the Chair.

Sikkim be consulted in the matter. The elections were held to know the public opinion about democratic structure of the Government. The quesion of associate status under India was not placed before the people of Sikkim. The Resolution of the Assembly would not suffice. We should take the opinion of the people. A referendum should be held for this purpose. The people of Sikkim should be assured that they will be consulted before marking any change in the status of their state even in future.

It has been provided in the Bill that the representatives of Sikkim will be nominated to Lok Sabha by the Assembly of Sikkim. But the fact is that members of Lok Sabha are elected by the people directly. This is basically wrong. I am against this provision of nomination. This is against democracy itself. Government should examine this aspect also.

Associate states means that fundamental rights enjoyed by the people of India should be extended to the people of Sikkim. If we want to make them associate citizens, a provision should be made for this purpose. There are basic questions which may affect our entire federal structure. We are in favour of close relationship which our neighbouring Himalayan countries, but we are against any hasty decision. However, I welcome the aspiration of the first elected Assembly of Sikkim. In fact, we were in favour of granting sovereign status to the entire Himalayan Region consisting of Tibbet, Nepal, Bhutan and Sikkim but it could not be done because of wrong policy followed by the Chinese rulers towards Himalayan state of Tibbet. In these circumstances, I would suggest that there should be no haste in passing this Bill. A joint parliamentary Committee may be set up to go through all these aspects and whatever status is given it should be given with the consent of the people of Sikkim.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : इस विधेयक के साथ संलग्न उद्देश्यों और कारणों वाला विवरण अपूर्ण है क्योंकि इसमें इस बात का कहीं उल्लेख नहीं किया गया कि हमारे संविधान में संशोधन करने तथा एक विशिष्ट संवैधानिक व्यवस्था करने की क्या आवश्यकता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत के साथ सिक्किम के राजनीतिक एवं आर्थिक संबंधों के बारे में इस सभा में चर्चा करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय स्पष्ट रुप से बताये कि क्या सिक्किम भारतीय संघ का अभिन्न क्षेत्र बन जायेगा और यदि हां तो क्या सिक्किम की जनता को वे सभी अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान किये जायेंगे और क्या उनके भी वही कर्तव्य होंगे जो भारतीय नागरिकों के हैं और यदि हाँ तो उनके विचार में हमारी संवैधानिक योजना के अन्तर्गत वह समानान्तर और लगभग दोहरी नागरिकता दोहरे उत्तरदायित्व और समानान्तर दायित्व एक ही भारतीय संघ और एक ही महासंघ में किस प्रकार निभाये जा सकेंगे ?

क्या सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बन जायेगा और उससे कभी सम्बन्ध-विच्छेद नहीं होगा ? यदि यह बात नहीं है, तो समस्त संवैधानिक योजना में इस आमूल परिवर्तन को कैसे स्वीकार किया जा सकता है ? यह मेरी दूसरी आपत्ति है। क्या सरकार चाहती है कि उसे प्रसारवादी कहा जाये; यदि नहीं तो उसे स्पष्ट करना चाहिये कि वे भारत और सिक्किम की जनता के बीच किस प्रकार के संवैधानिक , राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और लोकप्रिय सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं।

मेरी समझ में यह नहीं आता कि इस विधेयक को पास करवाने के लिये जल्दबाजी क्यों की जा रही है। हमारा संविधान बहुत ही संतुलित रुप में बनाया गया है और उसमें कोई नई व्यवस्था जोड़ने से पूर्व हमें भलीभान्ति विचार कर लेना चाहिये। मेरे विचार में इस व्यवस्था के बारे में भारत की जनता और सिक्किम की जनता, दोनों की राय ली जानी चाहिये। शासक दल को बहुमत को ध्यान में रख कर यह नहीं मान लेना चाहिये कि भारत की जनता ने इस संशोधन को स्वीकार कर लिया है।

इस विधेयक में लोक सभा और राज्य सभा में सिक्किम के प्रतिनिधियोंको और सभी अधिकार दिये जाने की व्यवस्था है परन्तु वे राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगे। इसका अर्थ यह है कि प्रतिनिधित्व समान नहीं है। मैं इस आधार पर भी इस विधेयक का विरोध करता हूँ।

[श्री पी० जी० मावलंकर]

यदि संसद में सिक्किम का प्रतिनिधित्व उसी प्रकार का होगा जैसा कि विदेश कार्य मंत्री ने बताया है तो इस सदन में उनकी स्थिति प्रेक्षकों से अधिक नहीं होगी। उनका संसदीय तथा अन्य प्रक्रियात्मक कार्यों में पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं होगा। यह ठीक है कि सत्ताधारी दल का सदन में दो तिहाई बहुमत है। परन्तु केवल इसी लिये संविधान में संशोधन कर सकने की बात उन्हें नहीं सोचनी चाहिये। ऐसे मामलों में सदन के सभी सदस्यों का एकमत होना चाहिये। अतः मैंने जो कारण दिये हैं उनके आधार पर ही मैं विधेयक का विरोध करता हूँ।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : इस सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते कि हम सिक्किम और भारत के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं। किन्तु इस आधार पर ऐसा कोई ठोस कारण नहीं है कि हम ऐसा विधेयक पेश करें जिसके कई ऐतिहासिक तथा दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। यह संशोधन संविधान का कोई साधारण संशोधन नहीं है यह संशोधन स्वतः संविधान के स्वरूप को ही बदलने वाला संशोधन है। हम संघीय ढांचे से राजसंघीय ढांचे की ओर अग्रेसर होते जा रहे हैं। संविधान का 36 वां संशोधन पारित करने के बाद हमारे संविधान के बहुत से खण्ड निरसित हो जायेंगे। हमें इस संशोधन विधेयक के पूर्ण परिणाम और प्रभावों को समझ लेना चाहिये। यदि इस विधेयक को कानून बना दिया गया तो इस देश के कानून के अन्तर्गत न आने वाला व्यक्ति भी इस देश के लिये कानून बनाने का अधिकारी हो जायेगा। सहयोगिता की एक नई कल्पना का विकास किया जा रहा है। इन सब बातों पर निरन्तर गम्भीर चिंतन की आवश्यकता है। सरकार को इस विधेयक के बारे में बहुत अधिक उतावली नहीं दिखानी चाहिये, परिवर्तन करने से पहले बुद्धिमतापूर्वक और गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

श्री मधु दण्डवते (राजापुर) : संविधान के अनुच्छेद (3)(क), (ख) (ग), में विशेष उल्लेख है कि प्रथम अनुसूची में निहित राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सीमा तथा अन्य ऐसे राज्यों की सीमा जिनका भारत में विलय किया गया हो भारत की सीमा कहलायेगी। परन्तु इस विधेयक में यह नहीं बताया गया है कि सिक्किम क्षेत्र का अर्जन किया गया है। सह, राज्य जैसी अतिरिक्त श्रेणी का भी कोई उल्लेख नहीं है। अतः वर्तमान संविधान के अनुरुप प्रथम अनुछेद में ही संवैधानिक कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी।

यद्यपि सिक्किम विधान सभा ने यह संकल्प पारित कर दिया है कि अन्य बातों के साथ भारत की संसदीय प्रणाली में सिक्किम के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये। यहाँ यह बात सुस्पष्ट कर दी जानी चाहिये कि संवैधानिक मामलों को राजनीतिक प्रणाली के परिवर्तन पर निर्भर नहीं करने दिया जायेगा। अपने सम्बन्ध और अधिक सुदृढ़ करने के लिये ऐसा संवैधानिक उपबन्ध किया जाना चाहिये जिससे कि भारत के साथ सहयोग करने हेतु सिक्किम के लोगों को दृढ़ राय ली जानी चाहिये। सिक्किम में जनमत संग्रह करना जैसा कोई व्यवस्था होनी चाहिये जिससे वहाँ के लोगों की श्रद्धा जानी जा सके। जिससे यदि कभी सिक्किम के राजनैतिक ढांचे में यदि कोई परिवर्तन हो तब संसद में सिक्किम के प्रतिनिधित्व में परिवर्तन न करना पड़े।

हमारी संसद में दो प्रकार के सदस्य नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि एक श्रेणी के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जायें तथा दूसरी श्रेणी के वे सदस्य जो सिक्किम विधान सभा द्वारा चुने जायें।

अच्छा होगा यदि सरकार सदन में विभिन्न दलों से विस्तार से परामर्श ले। सरकार द्वारा विधेयक पेश करने में इतनी उतावली नहीं की जानी चाहिये। सभी संवैधानिक मामलों को पूरी जांच करने के बाद ही इस विधेयक को संशोधित रूप में पेश किया जाना चाहिये।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : सभी राजनैतिक दलों के नेताओं की प्रधान की साथ हुई बैठक में भारतीय साम्यवादी दल की ओर से हमने इस विधेयक के बारे में उतावली करने का विरोध किया है। हम विधेयक के मूलभावना के विरोधी नहीं हैं। हमने विदेश, मंत्री से अनुरोध किया है कि

इस विधेयक पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए और आवश्यक संशोधन लाये जाने चाहिये ताकि आगे चलकर कोई त्रुटि न रहे। मैंने विधेयक पढ़ा है और एक साधारण व्यक्ति के स्तर से मैं यह कहता हूँ कि विधेयक की कई धाराओं में संशोधन की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि विधिमंत्री तथा विदेश मंत्री आवश्यक संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

यदि सिक्किम के लोगों ने अपनी विधान सभा में इस आशय का संकल्प पास कर लिया है कि वे भारतीय संसद में अपना प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं तो हमें उनकी सहायता करनी चाहिये। यदि यहां नहीं तो क्रम से कम उस देश में तो जनमत संग्रह कराया जाना ही चाहिये जिससे कि हम उन लोगों की इच्छा को जान सकें। उन्हें हम अपना सहसदस्य बनाकर ताकि वे सर्वसत्ताप्राप्त राज्य के रुप में अपनी स्वतंत्रता कायम रख सकें, हम संविधान के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर रहे हैं।

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : हमारा संविधान बहुत लचीला है। प्रत्येक पीढ़ी को अपनी इच्छा से संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। इस पीढ़ी ने भारत और सिक्किम के बीच घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करने का अनुभव किया है इसलिये यह विशेष संशोधन लाया गया है। यदि संविधान स्थिर नहीं होता तो संविधान का संशोधन ही संविधान को बदल देता है। संविधान संशोधन नये राज्यों और नये सदस्यों को जोड़ सकता है जो इस सदन में आ सकते हैं। ऐसे संशोधन हैं जो संविधान को बदल सकते हैं जो संविधान के पहले से अनुच्छेदों के समान नहीं हैं।

श्री एस० एल० सक्सेना (महाराजगंज) : मूल प्रश्न यह है कि क्या हम इस संशोधन की भावना से सहमत है। मेरे विचार से प्रधान मंत्री तथा विदेश कार्य मंत्री इस प्रकार का विधेयक लाने के लिये बधाई के पात्र हैं। जब कभी हम संविधान में नये विचार लाना चाहें तब संविधान में संशोधन किया जाना चाहिये। ऐसी कोई संवैधानिक कठिनाई नहीं है जो दूर न की जा सके। सिक्किम के लोगों को लोकतांत्रिक संविधान प्राप्त कराने में हमने उनकी बहुत सहायता की है और हमें उन लोगों को मंझधार में नहीं छोड़ना चाहिये। हमारी कार्यवाही के मूल उद्देश्य की प्रशंसा की जानी चाहिए और हमें सिक्किम के लोगों की सहायता के लिये प्रत्येक संभव प्रयत्न करना चाहिये।

Shri R. V. Bade (Khargone) : I do not oppose this Bill but we should not make haste in this regard. If Sikkam is to be given the status of associate state the Article of the Constitution should be amended.

विदेश मंत्री (श्री स्वर्णसिंह) : मूल बात सिक्किम के साथ हमारे सम्बन्ध हैं। इसके अन्तर्गत संविधान के संशोधन के बिना ही कुछ दायित्व निभाये जाते हैं। हम विदेशी मामलों और रक्षा के लिये जिम्मेदार है क्योंकि भारत और सिक्किम की रक्षा एक दूसरे से सम्बन्धित है। संचार और अन्य मामलों के बारे में भी दायित्व हैं।

सिक्किम के नये संविधान को सभी 32 सदस्यों ने सर्वसम्मत्ति से स्वीकार किया था। इसमें 31 सदस्य तो एक दल के थे और प्रतिपक्ष के एक सदस्य ने भी संविधान का समर्थन किया था। यह भी एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि संविधान के लिये चोगियाल की आवश्यक अनुमति भी प्राप्त कर ली गई थी। उसके बाद हमें औपचारिक रुप से कहा गया कि उनके संविधान और प्रस्ताव के अनुसार वे चाहते हैं अथवा भारत की संसद में प्रतिनिधित्व भारत के आर्थिक ढ़ांचे में सहयोग और अन्यसुविधायें। हमारे समक्ष मूल प्रश्न यह है कि हमें क्या करना है और क्या हमें एकमत से व्यक्त सिक्किम के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों की मांग को मानकर और सुदृढ़ स्तर पर अपने सम्बन्ध बनाने चाहिये।

[श्री स्वर्ण सिंह]

इसका उत्तर सकारात्मक था। मेरा इस बात के बारे में कोई विरोध नहीं है। आमतौर पर सिक्किम के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा सर्वसम्मति से व्यक्त की गई मांग के बारे में हमारा रवैया अनुकूल हैं।

अब हमें यदि अनुकूल रवैया अपनाना है तो हमें अपने संविधान में कुछ व्यवस्थायें करनी होगी ताकि उनके प्रतिनिधि संसद में आ सकें। उसके लिये हमने सभा के समक्ष कुछ प्रस्ताव रखे ह। वे एक संविधान संशोधन विधेयक के रूप में हैं। यह ठीक है कि एक नई बात की जा रही है। यह नई स्थिति के लिये आवश्यक है। यदि संविधान के वर्तमान उपबन्ध पर्याप्त होते तो सरकार संविधान का संशोधन न कराती।

हमारा संविधान सजीव संविधान है। यह इतिहास का मामला है कि हमारे संविधान में अनेक परिवर्तन किये गये हैं। आरम्भ हमारे यहां भाग 1 के राज्य तथा भाग 2 के राज्य भी और राजप्रमुखों की व्यवस्था है। बाद में हमें नई-नई समस्याओं से निपटना पड़ा। इस प्रकार हमारे संविधान में अनेक संशोधन हुये। हमारे संविधान में नामनिर्देशन करने जैसे उपबन्ध भी मौजूद हैं। आंग्ल–भारतीय समुदाय के दो नाम निर्देशित सदस्य है। फिर कुछ सदस्य दोनों सभाओं में ऐसे हैं जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते। हमारे संविधान का यह एक गुण है कि यह अनन्य नहीं है।

आज प्रातः जब हमने इस संशोधन विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार किया तो अधिकांश सदस्यों का मत बहुत रचनात्मक पाया। मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं इसके पाठ में सुधार करने के लिये बात-चीत करने को तैयार हूं।

बहूत सी बातें उठायी गई है जिनके विधेयक पर विचार की अवस्था में विस्तार से देखा जा सकता है अतः मैं अनुरोध करता हूं कि यह केवल पुरस्थापन अवस्था ही नहीं है हमें इस बात पर भी ध्यान रखना है कि संसद को ऐसा संशोधन करने का पूरा अधिकार है।

Shri Madhu Limaye (Banka) : The Bill should be forwarded to Joint Parliamentary Committee.

श्री स्वर्ण सिंह : मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह केवल भाषा का प्रश्न न होकर आशय का प्रश्न है जिसमें समुची सभा भाग लेना चाहेगी। अतः मेरा विचार इसे संयुक्त प्रवर समिति को नहीं भेजा जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्योंकि मंत्री महोदय इसमें विलम्ब नहीं कर सकते हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : हम इस विधेयक को पारित करने की जल्दी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। सिक्किम संशोधन विधेयक व्यावहारिक रूप में दो महीने पहले पारित किया गया था। उसके बाद उन्होंने हम से अनुरोध किया और हमें याद दिलाते रहे तथा यह अनुरोध एक महीने से अधीक समय से विचाराधीन है। हमने इस विधेयक का प्रारूप बनाने में इस बात तथा अनेक अन्य पहलुओं पर विचार करने में यह सारा समय लगाया तथा हमने विरोधी दलों के नेताओं से यथाशीघ्र विचार विमर्श किया। विरोधी दलों के अनेक सदस्यों द्वारा की गई टिप्पणियों पर मैं सहमत हूं कि यह दलगत मामला नहीं है। यह राष्ट्रीय महत्व का मामला है और उसी भावना से माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि वे सिक्किम की जनता द्वारा व्यक्त सर्व सम्मत मांग को वास्तविक रूप देने में हमें सहयोग दें। मैं जानता हूं कि सिक्किम के चौग्याल ने कुछ उपबंधों पर अपनी सहमति नहीं दी परन्तु हमने इस मूल तथ्य को ध्यान में रखा है कि उन्होंने स्वयं सिक्किम अधिनियम पर अपनी सम्मति दी थी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 140	विपक्ष में 17
Ayes 140	Noes 17

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री स्वर्ण सिंह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगों के बारें में
RE : EXCESS DEMANDS FOR GRANTS

अध्यक्ष महोदय : उस दिन गत वर्ष के कुछ व्यय के बारे में माननीय सदस्यों ने आपत्तियां उठाई थी। मेरे विचार से यह अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का विषय है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को प्रस्तुत करेंगे।

तत्पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए 3 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fifteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा 3 बज कर 5 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at Five minutes past Fifteen of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKAR *in the Chair*]

अनुपूरक अनुदानों की मांगे (सामान्य) 1974-75
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL) 1974-75

अध्यक्ष महोदय : हम कटौती प्रस्तावों के साथ-साथ वर्ष 1974-75 के लिये बजट (सामान्य) के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर विचार आरंभ करते हैं।

श्री गणश अपना भाषण समाप्त करें।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : 1974-75 की प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान श्री ईरा सेझियान ने 31 अगस्त, 1974 को व्यवस्था का प्रश्न उठाया था जो गत वष की आकस्मिक निधि से अग्रिम राशी लेकर अनुपूरक मांगों में नियमित करने के संवधानिक औचित्य के बारे में था। श्री मधु लिमय और श्री एस० एम० बनर्जी ने भी श्री सेझियान के प्रश्न का समर्थन करते हुए अध्यक्षपीठ से विनिर्णय मांगा था।

[श्री के० आर० गणेश]

माननीय सदस्य का यह तर्क है कि आकस्मिक निधि में से अग्रीम राशी लेकर चार मदों पर किया गया व्यय वर्ष 1974-75 की अनपूरक अनुदानों की मांगों में नहीं आता है। इसे अनुच्छेद 115 (1) के खंड (क) के अन्तर्गत 1974–75 की अनुपूरक अनुदानों की मांगों में नहीं रखा जा सकता और इसे वर्ष 1973–74 की अतिरिक्त अनुदानों की मांगों के रूप में सभा में रखा जाना चाहिए था ।

मुझे ऐसा लगता है कि आकस्मिक निधि और अतिरिक्त व्यय से सम्बद्ध संविधान के उपबन्धों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को कुछ गलतफहमी है। संविधान के अनुच्छेद 267 (1) में आकस्मिक निधि निर्धारित करने की परिकल्पना की गई है, जो राष्ट्रपति के पास अग्रिम धन के रूप में अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए होती है और ऐसे व्यय पर बाद में अनुच्छेद 115 या 116 के अन्तर्गत संसद द्वारा मंजूरी दे दी जाती है। संविधान के अनुच्छेद 115 के दो भाग हैं, अर्थात् खंड (क) और खंड (ख) । आकस्मिकतानिधि की मद अनुच्छेद 115 के खंड (ख) के अन्तर्गत न तो आ सकती है और न आती है।

मैं सभा का ध्यान "मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टीसेज" के सत्रहवें संस्करण के पृष्ठ 747 पर वर्णित अतिरिक्त मांगों के बारे में ब्रिटिश प्रकिया की ओर दिलाना चाहता हूं। मे के अनुसार ब्रिटेन में अतिरिक्त मांगों को अगले वर्ष के मार्च तक सभा में प्रस्तुत कर दिया जाता है, परन्तु यहां भारत की संचित निधि से सिविल डिपार्टमेंटस् द्वारा 1969–70 में किये गये अतिरिक्त व्यय के नियमन के लिये मार्च, 1972 में सभा में अतिरिक्त अनुदानों की मांगे प्रस्तुत की गई।

मैं समझता हूं कि अब अतिरिक्त व्यय और आकस्मिक निधि से अग्रिम राशी लेकर किये गये व्यय के बीच अन्तर स्पष्ट हो गया है। न तो संविधान के अनुच्छेद 267 (1) में और न ही भारत की आकस्मिक निधि अधिनियम, 1950 में ऐसी कोई बात है जिससे पिछले वर्ष की आकस्मिक निधि में से ली गई अग्रिम राशी के नियमन पर रोक लगे। आकस्मिक निधि में से अग्रिम राशी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिये ली जाती है।

माननीय सदस्यों के व्यवस्था के प्रश्न में मामूली सा सार है अतः मेरा कहना है कि इसे अवैध ठहराया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : परसों जब यह प्रश्न उठाया गया था तो इसे मंत्री महोदय ने बुद्धिमानी से स्थगित कर दिया था और आज वह इसका उत्तर देने के लिये पूर्णतया तैयार होकर आये है।

इस सम्बन्ध में मेरा काम सरल हो गया है क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने आज प्रातः पीठ से उठते समय इस बारे में टिप्पणी की थी। स्पष्ट है कि उनके पास श्री गणेश के वक्तव्य की प्रति होगी । उनकी वह टिप्पणी विनिर्णय की हद को पहुंचती है। उन्होंने कहा, "मेरे विचार से यह अतिरिक्त मांगों का विषय है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय अतिरिक्त अनुदानों की मांगें प्रस्तुत करेंगे ।" अतः म समझता हूं कि हमें इस बात से पीछे नहीं हटना चाहिए। अध्यक्ष महोदय का विनिर्णय संविधान के इस उपबंध को आकर्षित करता है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार को अन्य अतिरिक्त मांग प्रस्तुत करनी होगी और इसे वर्तमान मांग से निकाल दिया जाना चाहिए।

श्री मधु लिमये : ये प्रभारित मदें हैं। इन पर मतदान नहीं हो सकता। इन्हें निकाल दिया जाना चाहिए। इन्हें निकालने के बाद सभा में मांगे मतदान के लिये रखी जानी चाहिए। विनियोग विधेयक को वापिस ले लिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें इन मामलों पर बहुत ही उत्तरदायी ढ़ंग से विचार करना है क्योंकि ये धन से सम्बन्धित हैं।

इस सभा के माननीय सदस्यों ने इस सभा की महान् सेवा की है।

श्री के० आर० गणेश : जैसा कि आपने कहा कि चूंकि अध्यक्ष महोदय ने विनिर्णय दे दिया है इसलिये इस सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है।

मैं अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय का पालन करने के लिये तैयार हूं।

यद्यपि सभा ने अध्यक्ष महोदय का विनिर्णय स्वीकार कर लिया है तथापि मैं समझता हूं कि यह भी आवश्यक है कि मैंने जो बातें रखने की कोशिश की है वे विस्तृत है, मैं उन्हें संक्षेप में कहने की कोशिश करूंगा . . .

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय विनिर्णय दे चुके हैं और हमें उसका पालन करना है।

मंत्री महोदय के लिए अब यही उपाय रहा है कि वह इन अतिरिक्त मांगों को अलग से प्रस्तुत करें।

मेरा निवेदन है कि आप मंत्री महोदय को 1974-75 के लिये अनुपूरक मांगे और 1973-74 के लिये अतिरिक्त मांगें प्रस्तुत करने का निदेश दे।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय को ध्यान में रखते हुए सरकार को चाहिये कि वह अध्यक्ष महोदय के साथ बैठ कर इस मामले को निपटा ले। मंत्री महोदय नई अनुपूरक मांगें और नया विनियोग विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : आज प्रातः मैं उपस्थित नहीं था। क्या अध्यक्ष महोदय ने इस पर विनिर्णय दिया था?

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां। मैं इसे पुनः पढ कर सुनाता हूं। "....में समझता हूं कि यह अतिरिक्त मांगों का विषय है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय अतिरिक्त अनुदानों की मांगे प्रस्तुत करेंगे।"

श्री के० आर० गणेश : चूंकि विनिर्णय का पाठ आपके सामने है इसलिये मैं इसे चुनौती नहीं दे सकता। जब सभा मध्याह्न भोजन के लिये स्थगित हो रही थी तो सब कुछ जल्दी में किया गया था और वह चले गए थे। उन्होंने क्या कहा उसका प्रत्येक शब्द किसी ने नहीं सुना।

मुझे सभा को इस बारे में सन्तुष्ट करना है कि यह अनुदान अधिक नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने समझा था कि अध्यक्ष महोदय ने आज प्रातः श्री सेझियान द्वारा उठाये गये प्रश्नों का उत्तर देने को कहा था। इसी लिये मैंने मंत्री महोदय को वक्तव्य देने के लिये बुलाया था।

श्री के० आर० गणेश : जिन मदों पर अधिक व्यय किये जाने पर आपत्ति उठायी गई है उनके बारे में मुझे सिद्ध करना है कि यह अधिक है अथवा नहीं (व्यवधान) इन मदों पर मतदान नहीं लिया जाता।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 113 अत्यन्त स्पष्ट है। भले ही इस पर मतदान आवश्यक न हों तो भी इसपर चर्चा पर कोई रोक नहीं है।

श्री के० आर० गणेश : जिन मदों पर अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार चर्चा की जाती है उन्हें छोड़ कर शेष विधेयक को पारित कर दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय का निर्णय स्पष्ट नहीं है। उन्होंने मंत्री महोदय को अधिक मांगों के बारे में वक्तव्य देने को कहा है। परन्तु कौनसी मांगे अधिक हैं इसका निर्णय यहां कैसे किया जा सकता है ? इन बातों का अत्यन्त विस्तार पूर्वक अध्ययन करना होता है।

अब हम गुजरात की अनुपूरक मांगों को लेते हैं।

श्री सेझियान : गुजरात की मांगों में कई मदें ऐसी सम्मिलित हैं जोकि पिछले वर्ष के व्यय में भी सम्मिलित थी।

श्री के० आर० गणेश : अध्यक्ष महोदय के निर्णय के कारण वही समस्या गुजरात तथा पांडीचेरी के मामले में पैदा होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के कथनानुसार गुजरात और पांडिचेरी की स्थिति समान है अतएव उन्हें एक साथ लिया जा सकता है।

अब हम तेल उद्योग (विकास) विधेयक को लेते है। श्री देव कान्त बरूआ यहां पर नहीं हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : यह आवश्यक नहीं है कि वाद विवाद मंत्री महोदय के भाषण से शुरू हो। सदस्य इसे आरम्भ कर सकते हैं। मंत्री महोदय बाद में उत्तर दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कई बार मंत्री महोदय की अनुपस्थिति के कारण सभा की कार्यवाही 5–10 मिनट के लिए स्थगित रखनी पड़ी। इस वाद-विवाद के समय का आंकन पहले से नहीं किया जा सकता था।

तेल उद्योग (विकास) विधेयक
OIL INDUSTRY (DEVELOPMENT) BILL

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम इस गुप्त विधेयक को लेते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : सभा में कोरम नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब कोरम हो गया है।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : मैं श्री देव कान्त बरूआ की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

> "कि तेल उद्योग विकास के लिए एक बोर्ड की स्थापना के लिए और उस प्रयोजनार्थ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर उत्पादन शुल्क उद्गृहीत करने और उससे सम्बद्ध मामलों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

Shri Madhu Limaye (Banka) : Has Shri Barooah authorised Shri Shahnawaz Khan to move this Bill on his behalf ?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे लिये अत्यन्त कठिनाई है। श्री बारूआ ने मुझे नहीं लिखा है।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देव कान्त बरुआ) : यह विधेयक सीधा सा विधेयक है।

उपाध्यक्ष महोदय : तब आप इसे गुप्त विधेयक क्यों कहते हैं ?

श्री देव कान्त बरुआ : यह विधेयक सरल इस प्रकार है कि इससे केवल 60 रुपए शुल्क लगाने का ही प्रस्ताव है ।

Shri Madhu Limaye : I have a point of order when the Minister of State was making his statement, I raised a point of order. But what happened to the speech of Shri Shahnawaz Khan ?

उपाध्यक्ष महोदय : विरोधी पक्ष की आज भारी विजय रही । उन्होंने अनुपूरक मांगों को गुजरात की तथा पांडेचेरी की मांगों को तथा रेलवे की मांगों पर चर्चा नहीं होने दी ।

जब राज्य मंत्री ने भाषण शुरू कर दिया था इस बीच में वरिष्ठ मंत्री आ गये ।

श्री देव कान्त बरुआ : यह विधेयक हानिकारक नहीं हैं । इसका मुख्य उद्देश्य कच्चे तेल पर शुल्क लगाना है ताकि तेल उद्योग के विकास के लिये धन की व्यवस्था की जा सके । माननीय सदस्यों के दिमाग में एक बात सन्देहास्पद है कि इस विधेयक को गुप्त विधेयक के रूप में क्यों स्थापित किया गया है । इसका कारण यह है कि यदि तीन या चार दिन का नोटिस देने की प्रक्रिया का अनुसरण किया होता तो लोगों को पता चल जाता कि कर लगाया जा रहा है और प्रस्तावित कर का अपवंचन होता ।

तेल मुख्यत : सरकारी क्षेत्र में होता है । तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने 40 लाख कच्चे तेल का उत्पादन किया । अत: तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कर अपवंचन का प्रश्न ही नहीं उठता । उसमें 50% सरकार का तथा 50 % बर्मा आयल कम्पनी है । एक आसाम आयल कम्पनी है जिसका उत्पादन 48 हजार टन है तो वे 40 हजार टन पर शुल्क की बचत कर लेते ।

अत: चेतावनी के तौर पर हमने यह विशेष कदम उठाया है कोई भी करापवंचन न कर सके ।

यह विधेयक मालवीय समिति की सिफारिशों के आधार पर कर उत्पन्न हुआ है जिसमें यह सुझाव दिया कि एक निधि होनी चाहिए जिसे पेट्रोल उपादकों पर शुल्क बढा कर बढ़ाया जाना चाहिए । अच्छा यह समझा गया कि कच्चे तेल पर ही शुल्क लगाया जाये ।

मालवीय समिति ने इस प्रश्न पर भी विचार किया है कि इस धन का किस प्रकार उपयोग किया जाये ? मुख्य बात यह है कि तेल उद्योग का विकास विस्तृत आधार पर आरम्भ किया जाना चाहिए क्यों कि यदि हम छिद्रण तथा तेल निकालने का ही काम करते तो यह पर्याप्त नहीं होगा । हमें भूमि से तेल निकालना है फिर उसे पाइप लाइनों में भरना है तथा तत्पश्चात परि शोधन शालाओं को भेजना है । यहां कहीं हम तेल की खोज करें वहां हमें उसके उपयोग की भी व्यवस्था करनी है । अत: हमने सोचा कि 700 करोड़ रुपये की राशि जो हमने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को उपलब्ध की हैं, उसके अतिरिक्त भी राशि उसे उपलब्ध की जानी चाहिए ताकि हम देश में जितना तेल उपलब्ध करें उतना उपयोग में ला सकें ।

हमने गलेकी में सोवियत विशेषज्ञों की सहयोग से एक कुआं खोदा है जिसकी प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता 150 टन होगी । हमें आशा है कि हम तेल क्षेत्रों से लगभग 20 लाख टन कच्चा तेल उपलब्ध कर लेंगे । समस्या केवल उसके उपयोग की है । इसे हमें विभिन्न परिशोधन शालाओं में ले जाने की है । नहर कटिया से बरोनी तक की पाइप लाइन केवल 30 लाख टन तेल पहुंचा सकती है । यदि हम अधिक तेल का उत्पादन करते हैं तो हमें पाइप लाइन का भी विस्तार करना होगा । पाइप लाइन की क्षमता का विस्तार करने के लिये हमें 17 करोड रुपए की आवश्यकता होंगी

[श्री देव कान्त बरुआ]

हमें प्रतिदिन 100,000 क्यूबिक गैस मिल रही है। हम अधिक गैस के उत्पादन के लिये कार्य कर रहें हैं।

इसी प्रकार हमने बम्बई हाई में तेल निकाला है। हमें समुद्र तट पर से दूर छिद्रण के कार्य कार्य का विस्तार करना है। हम एक बड़ा रिग खरीदने जा रहें हैं अतः हमने सोचा है कि इस धन का उपयोग छिद्रण कार्य तक ही सीमित रखना नहीं है अपितु तेल निकालने के पश्चात् अन्य प्रक्रियाओं को भी उपयोग में लाना है। यदि इस त्रिपुरा में बड़े पैमाने पर तेल अथवा गैस का उपयोग करते है तो हमें वहां पर एक पेट्रोलियम उद्योग तथा एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करना पड़ेगा। यह धन एकत्र किये जाने के बाद भारत की संचित निधि में जमा कर दी जायेगी। यह बोर्ड के नियंत्रण में होगा और बोर्ड अपने स्वविवेक तथा सरकार द्वारा निर्धारित कुछ सिद्धान्तों के अनुसार इस निधि का उपयोग करेगा। इस व्यय की जांच भारत का महा नियंत्रक और लेखा परीक्षक करेगा तथा संसद को प्रतिवर्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायगा। इस प्रकार यह लोक लेखा समिति और संसद के वित्तीय नियंत्रण में होगा।

प्रस्तावित बोर्ड में 13 सदस्य होंगे। इसमें वित्त मंत्रालय और हमारे मंत्रालय के प्रतिनिधि भी होंगे इससे तेल और प्राकृतिक गैस आयोग भारतीय तेल निगम, भारतीय उर्वरक निगम, पेट्रोकेमिकल निगम आदि के प्रतिनिधि होंगे। दो प्रतिनिधि भारत सरकार मनोनीत करेंगी बोर्ड में एक कार्मिक संघ के नेता को भी शामिल किया जाएगा, हमारे देश में सम्पत्ति के एक बड़े भाग का निर्माण श्रमिक वर्ग द्वारा होता है किन्तु हमारे पास पाश्चात्य देशों की भांति तकनीक नहीं है। उन देशों में 8 प्रतिशत लोग खाद्यान्न उगाते हैं और वह इतना पर्याप्त होता है कि उसका निर्यात भी कर लेते है जबकि हमारे देश में 70 से 80 प्रतिशत तक लोग कृषि कार्यों में लगे है फिर भी पूरे देश के लोगों को भोजन नहीं मिलता। अतः इस देश में विकास श्रमिकों के सहयोग कार्यकारी जनता के सहयोग से हो सकता है। श्रमिकों को उद्योगों के प्रबंध में ऊंचा स्थान दिया जाना चाहिए।

हम तेल क्षेत्रों के लिए 700 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। प्रश्न केवल आवंटन का नहीं है। धन के उपयोग की क्षमता को भी ध्यान में रखा गया है। हमें उस क्षमता का निर्माण करना है। हमें यांत्रिक इंजीनियरी, खुदाई और पाइप बिछाने की क्षमता को बनाना है क्योंकि तेल उद्योग एक बड़ा जटिल उद्योग है जहां आपके झालाईगर से लेकर खुदाई करने वाले तक की आवश्यकता पड़ती है। अतः हमारा प्रयत्न एक तेल विकास निधि बनाने का है जिसका प्रशासन विशेषज्ञ करेंगे और जिसमें कोई मंत्री नहीं होगा। दूसरे जो भी निधि आवंटित की जाएगी वह कतिपय सिद्धान्तों के आधार पर की जाएगी। अतः मेरा माननीय सदस्यों से सुझाव है कि वह इस विधेयक की स्वीकृति पर विचार करें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि तेल उद्योग के विकास के लिए एक बोर्ड की स्थापना के लिए और उस प्रयोजनार्थ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर उत्पादन शुल्क उद्ग्रहित करने और उससे सम्बद्ध मामलों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेनीचेरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"That the Bill to provide for the establishment of a Board for the development of oil industry and for that purpose to levy a duty of excise on crude oil and natural gas and for matters connected therewith, be referred to a Select Committee consisting of 15 members, namely, Shri R. Balakrishna Pillai, Shri Jyotirmoy Bosu, Shri M. C. Daga, Shri Darbara Singh, Shri Indrajit Gupta, Shri Shahanawaz Khan, Shri P. G. Mavalankar, Shri Shyamnandan Mishra, Shri Piloo Mody, Shri Priya Ranjan Das Munsi, Shri Vayalar Ravi, Shrimati Maya Ray, Shri Era Sezhiyan, Shri R. K. Sinha and Shri Atal Bihari Vajpayee with instructions to report by the first day of the next session."

["कि तेल उद्योग के विकास के लिए एक बोर्ड की स्थापना के लिए और उस प्रयोजनार्थ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर उत्पाद-शुल्क उद्गृहित करने और उससे संबद्ध मामलों के लिए उपबन्ध करने वाला विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाये, जिसमें 15 सदस्य हों, अर्थात् :—

(1) श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले
(2) श्री ज्योतिर्मय बसु
(3) श्री मूल चन्द डागा
(4) श्री दरबारा सिंह
(5) श्री इन्द्रजीत गुप्त
(6) श्री शाहनवाज खां
(7) श्री पी० जी० मावलंकर
(8) श्री श्यामनन्दन मिश्र
(9) श्री पिलू मोदी
(10) श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी
(11) श्री वयालार रवि
(12) श्रीमती माया राय
(13) श्री इरा सेझियान
(14) श्री आर० के० सिन्हा ; और
(15) श्री अटल बिहारी वाजपेयी

और उसे आगामी सत्र के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देने का अनुदेश दिया जाये।"] (संख्या 54)

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"That the Bill to provide for the establishment of a Board for the development of oil industry and for that purpose to levy a duty of excise on crude oil and natural gas and for matters connected therewith be referred to a Select Committee consisting of 12 members, namely, Shri S. M. Banerjee, Shri C. K. Chandrappan, Shri Madhu Dandavate, Shri Jambuwant Dhote, Shri Samar Guha, Shri Niral Enem Horo, Shri Shahnawaz Khan, Shri Janeshwar Misra, Shri Ajit Kumar Saha, Shri Era Sezhiyan, Shri Atal Bihari Vajpayee and Shri Shyamnandan Mishra with instructions to report by the first day of the next session."

["कि तेल उद्योग के विकास के लिए एक बोर्ड की स्थापना के लिए और उस प्रयोजनार्थ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर उत्पादनशुल्क उद्गृहित करने और उससे संबद्ध मामलों के लिए उपबंध करने वाला विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाये, जिसमें 12 सदस्य हों अर्थात् :—

(1) श्री एस० एम० बनर्जी
(2) श्री सी० के० चंद्रप्पन
(3) श्री मधु दण्डवते
(4) श्री जांबुवंत धोटे
(5) श्री समर गुहा
(6) श्री निरल इनेम होरो

[श्री शाम नन्दन मिश्र]

(7) श्री शाहनवाज खां

(8) श्री जनेश्वर मिश्र

(9) श्री अजित कुमार शाह

(10) श्री इरा सेझियान

(11) श्री अटल बिहारी बाजपेयी ; और

(12) श्री श्यामनन्दन मिश्र

और उसे आगामी सत्र के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देने का अनुदेश दिया जाये।"] (संख्या 55)

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किए गए इस विधेयक के उद्देश्य से मैं पूरी तरह सहमत हूं। यह विधेयक देश में तेल उद्योग के विकास के लिए एक तेल बोर्ड और तेल उद्योग विकास निधि की स्थापना के लिए लाया गया है किन्तु मैं इस विधेयक का स्वागत बहुत उत्साह से इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जिस ढंग से विधेयक में बोर्ड की व्यवस्था और तेल की खोज की समस्याओं को लिया गया है वह बहुत अधिक स्वीकार्य नहीं।

[**श्री वसंत साठे** पीठासीन हुए
SHRI VASANT SATHE *in the Chair*]

जहाँ तक बोर्ड की बात है यह स्पष्ट है कि यह नौकरशाही से भरा होगा। इसे अत्यधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं इस विधेयक का उद्देश्य समग्र तेल उद्योग का विकास करना है लेकिन मंत्री महोदय ने तेल की खोज और छिद्रण आदि पर आवश्यक जोर नहीं दिया है। मैं कोई तेल विशेषज्ञ नहीं हूं फिर भी अन्य देशों में तेल की खुदाई के मामले में क्या होता है यह मैं समझने की कोशिश करता हूँ। तेल उद्योग के विकास के लिए सबसे प्रथम और आवश्यक बात उन स्थानों का पता लगाना है जहां कि तेल उपलब्ध है इसके बाद ही तेल के उचित उपयोग का प्रश्न उठता है। जहाँ तक इस पहलु का संबंध है यह विधेयक अत्यंत शिथिल है।

मंत्री महोदय ने सरकार द्वारा तेल की खोज हेतु किए गए प्रयासों का भी उल्लेख किया है। हाल ही में सरकार तेल की खोज के लिए अंतर्राष्ट्रीय निगमों की ओर अधिक झुकी है। यह हमारे देश की विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए बहुत हानिकारक है। क्योंकि अर्थव्यवस्था के विकास में तेल का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आजकल जबकि तेल के संबंध में विश्व के कई देशों ने अंतर्राष्ट्रीय निगमों को निकाल बाहर किया है भारत ने इन अंतर्राष्ट्रीय निगमों को निमंत्रण देकर उनका भव्य स्वागत किया है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय निगम केवल तेल की खोज के लिए ही नहीं आते। इनका संबंध जासुसी और तोड़फोड़ से भी होता है। चाइल के संबंध में भी यही हुआ है। वहां तांबे के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय निगम थे। हमें उनके अनुभवों को नहीं भूलजाना चाहिए। यह भूलना हमको बहुत महंगा पड़ेगा सरकार यह तर्क दे सकती है कि चूंकि उनके पास तकनीकी जानकारी और धन का अभाव था हमें अंतर्राष्ट्रीय निगमों का आश्रय लेना पड़ा। यहाँ मैं यही कहूंगा कि मालवीय समिति की रिपोर्ट अधिक सही थी। इस विधेयक का प्रारूप इसी रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट में तेल की खुदाई पर जोर दिया गया था। मंत्री महोदय ने भी तेल की तट और तटदूर खुदाई के बारे में उल्लेख किया है लेकिन तट दूर खुदाई का संपूर्ण कार्य अंतर्राष्ट्रीय निगमों को सौंपा दिया गया है। ऐसा कभी नहीं होता यदि इस विधेयक में भी उन्हीं बातों पर बल दिया जाता जिनका मालवीय समिति की रिपोर्ट में दिया गया था तेल निकालने और उद्योग के विकास को भी एक जगह मिला देना गलत होगा। फिर पैट्रो कैमिकल उद्योग और अन्य उद्योग भी इससे संबंधित है। इन उद्योगों में स्वयं अपने पाँव पर खड़े होने की क्षमता है। यह उद्योग सरकार के विभिन्न निकायों तथा योजना आयोग से धन मांग सकते है किन्तु तेल खदाई का कार्य ऐसा नहीं है। यह एक जोखिम का कार्य है और इसमें बहुत अनिश्चितता का भाग बहुत अधिक है। हो सकता है आप पूरा

अरब सागर तट छान डाले और वहां से तेल न निकले इसका परिणाम यह होगा कि तेल विकास निधि का एक बड़ा भाग पैट्रो-कैमिकल और अन्य विभिन्न उद्योग हड़प जाएंगे सरकार मुख्य रूप से लाभ को दृष्टि में रखती है यदि खुदाई करने के उपरान्त तेल नहीं निकलता तो अगले वर्ष तेल की खुदाई हेतू धन का आबंटन नहीं किया जाएगा सरकार को तेल खुदाई के ज्यादा कार्यक्रम अपने हाथ में लेने चाहिए। उदाहरण के लिए पश्चिमी तट को लिजिए केरल के तट को लीजिए। और भी कई स्थानों पर तेल मिलने की संभावना है। यदि आपको कच्चे तेल चाहिए तो सरकार को इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

कर्मचारियों के प्रतिनिधि के संबंध में मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है। यह संशोधन प्रवर समिति को भेजा जाए। इससे सरकार को सहायता प्राप्त होगी।

मैं आशा करता हूं मंत्री महोदय मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे और विशेषकर तेल उद्योग में से अंतर्राष्ट्रीय निगमों के हस्तक्षेप को समाप्त कर देंगे।

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu) : Mr. Chairman Sir, this Bill proposes to levy a duty of excise on crude oil and natural gas. If the Government takes steps to mobilise resources to meet the oil crisis and to increase oil production we should regard this measure as a welcome step. But one thing has to be kept in view that if this sort of cess is levied for the development of so many other industries the people will have to pay a lot of tax.

There is no specific provision in the Bill for appointment of representatives of labour in the Oil Industry Development Board. This can create a suspicion in the minds of workers that their representatives may not be included in the Board. The Minister should therefore, make a specific provision in the Bill for giving representation to workers in the board.

My main objection is to clause (6). Under the provision being made in clause 6(2)(a) the Board can give grant or advance loan to any individual who is engaged in Oil Industry. We have to ensure that while money is being raised through a special tax for the development of oil industry it is not measured and spent for other purposes such as marketing of oil etc. A provision should be made to check improper use of oil development fund.

The people in rural areas do not get adequate quantity of kerosene oil. Even one tenth of production of kerosene is not being given to rural areas. The result is that while people in villages do not get kerosene for lighting purposes, adequate quantities of kerosene oil is supplied to people in cities for cooking. The Government should give priority to rural areas in the matter of distribution of kerosene.

Price of fertiliser has been increased. But the Government should have taken steps to ensure that old stock of fertiliser is sold at the old price The State Governments have failed to ensure that. In future it should be ensured even if some special legislation have to be enacted, that old stock is sent at the old price.

The Oil Industry Development Board will consist of Government officers, MP's and M.L.A's. I submit other local public men should be included in the Board. It will ensure proper functioning of the Board.

There is a provision for standing committees. Some Members of the Board will be Members of these committees that will be of no use. There should be experts in these committees so that they can give expert opinion to the board.

Shri R. V. Bade (Khargone) : I support this Bill. The objective of this Bill is very good. It is proposed to levy a special cess on crude oil and natural gas to provide financial assistance to the organisations engaged in development of oil industry I request that this assistance should not be provided to multi-national industries which compete with Government Corporations.

[Shri R. V. Bade]

The Bill provides that there would be two representatives of labour in the Board. This representation should be increased. There is a provision that in case where an oil concern or other persons make any default in repayment of any loan or advance or in meeting its or his obligations an officer of the Board may apply to the court for sale of the property pledged or for an *ad interim* injunction. Arming of officers with this power is not good. There should be a provision for revision or Appellate Authority.

As a result of this cess the Diesel oil and crude being used by Agriculturist would become mere costly. It has not been made clear to what extent they would be affected. Similarly it should be explained to what extent it would affect the price of fertilizer. The farmers are going to be adversely affected by the imposition of this cess.

Shri M. C. Daga (Pali) : The Government intends to set up a Board for exploration and drilling of crude oil and Natural Gas resources. But it has not been mentioned in the Bill as to what would be administrative structure of Board. Moreover the statement of objects of the Bill does not specifically mention about a Board. Formation of the Board its functions and duties does not find any place in the statement of objects of the Bill.

A number of electricity commissions have been set up by the Government. But all these are running in loss. Whenever anything is pointed out it is said that they are autonomous. I feel this is not a healthy tendency. The hon. Minister should himself keep a watch over the activities of such Boards.

Exploration work presently being carried on at Jaisalmer is going at a very low speed. The staff works hardly 3 months in a year. The Minister should look into this.

So far as this specific Board is concerned a Technician should be appointed as a Chairman of the Board and technicians and exp rts in the field of oil industry should be appointed as members in this way the Board would be more purposeful and effective.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : यह विधेयक समीक्षा समिति की एक महत्वपूर्ण मामले में सिफारिश के विरुद्ध है। उस समिति ने सिफारिश की थी कि पैट्रोलियम उत्पादों पर उपकर लगाया जाये और उससे प्राप्त राशि तेल की खोज करने के लिए एक राष्ट्रीय निधि में अन्तरित कर दी जाये। इसके पीछे नीहित भावना यह थी कि इस उद्योग में बड़े खतरे एवं अनीश्चितता है जो अन्य उद्योगों से तुलनीय नहीं है। तेल की खोज का कार्य अन्य उद्योगों से अलग कोटि में आता है इस कारण यदि इसे भी अन्य उद्योगों के समान स्तर पर रखा जाये तो इस उद्योग में अत्याधिक हानि होगी जिससे भविष्य में देश में तेल की खोज के कार्य में अधिक प्रगति की आशा नहीं। मेरी दृष्टि से वास्तव में प्रत्येक उद्योग में अनुसंधान और विकास के लिए एक अलग निधी होनी चाहिये। जिन उद्योगों को इकठ्ठा किया जा रहा है उनमें आपस में एक जैसी कोई समानता नहीं है। तेल की खोज, तेल शोधन उर्वरक तथा पैट्रो-रसायन सब अलग अलग उद्योग हैं। इस प्रकार इन्हें इकट्ठा करने से प्रत्येक उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः मंत्री महोदय को इस संबंध में अभी भी विचार करना चाहिये।

इसके पीछे होल्डींग कम्पनी की भावना प्रतीत होती है यद्यपि इस प्रकार का नाम नहीं दिया जा रहा है। होल्डींग कम्पनी का सिद्धान्त तो ठीक है परंतु इसका लाभ तभी प्राप्त हो सकता है जबकि क्षेत्र में उसकी प्रतिस्पर्धी कम्पनियों भी हों। अतः यदि मंत्री महोदय होल्डींग कम्पनी के सिद्धांत को अपना रहे हैं तो उन्हें यह समझ लेना चाहिये कि यह सिद्धांत यहां पर हमारे देश में सफल नहीं होगा।

प्रस्ताविक बोर्ड का कम्पनियों पर पूर्ण अंकुश होगा। यह एक केन्द्रीकृत निकाय होगा। इस प्रकार की व्यवस्था कार्य स्वतंत्रता में बाधक होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि बोर्ड का अध्यक्ष किसी

सरकारी अफसर को बनाया जायेगा। मैं अफसरों के विरुद्ध नहीं परंतु यह उचित नहीं है। इन सब बातों को देखते हुए मेरा अनुरोध है कि इसे प्रवर समिति को प्रेषित किया जाये। इस पर गंभीर विचार की आवश्यकता है जो कि 1 1/2 घंटे में नहीं हो सकता जो समय इसके लिए नियत किया गया है।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : विधेयक के खंड 3 के अनुसार बोर्ड के अध्यक्ष पद पर केन्द्र सरकार के किसी अधिकारी को नियत किया जाना है। परंतु क्या वह अधिकारी आज मंत्रालय में रहते हुए इस बोर्ड का काम नहीं देख सकता? दूसरे तेल की खोज जैसे क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिये जो उद्योग की सारी प्रक्रिया का अनुभव प्राप्त कर चुका हो। आज सारे विश्व में इस उद्योग को एक विशेष उद्योग के रूप में स्वीकार किया जा रहा है और तेल की खोज का कार्य विशेषज्ञों के हाथों में दिया जा रहा है। विश्व में आज इस क्षेत्र में बहु राष्ट्रीय निगम है। परंतु हमें अपने देश में उनसे किसी प्रकार की शरारत करने की क्षमता के बारे में डरना नहीं चाहिये। इन निगमों का इतिहास कुछ इसी प्रकार का रहा है। परंतु हमारे देश में इस प्रकार की कोई बात तब तक नहीं हो सकती जब तक देश के सैनिक देशभक्ति और निष्ठा से देश की स्वतंत्रता की रक्षा करने के सक्षम है। हमें यह संशय नहीं बनाए रखना चाहिये कि पश्चिमी पूंजीपति प्रबन्धक यहां आ कर हमारे कार्य में बाधा उपस्थित कर सकता है। आज इन निगमों का विरोध देश में वाममार्गी विचार धारा के साथ मील कर देश के पूंजीपति भी कर रहे हैं। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिये।

आज विश्व में एक अन्य स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। अरब देशों के पास तेल की बिक्री से बहुत अधिक धन जमा हो गया है। सरकार को इस धन को इस देश में लगवाने की सम्भावना का भी अध्ययन करना चाहिये। हमें अपनी आर्थिक विकास नीति में इस प्रकार का परिवर्तन करना चाहिये कि इन अरब देशों को हमारे देश में धन लगाने को प्रोत्साहन मिल सके। हमें इस क्षेत्र में बाहरी संशोधनों का निवेश कराने के प्रयास करने चाहियें।

इसी संदर्भ में हमें समुद्र तल संबंधी नीति का भी निर्धारण कर लेना चाहिये। आज इसका अधिक महत्व न हो परंतु भविष्य के लिए इस का बहुत अधिक महत्व है। समुद्र तल न केवल पैट्रोलियम का ही वरन् अन्य वस्तुओं का भी विशाल भण्डार है। हमारे धार्मिक ग्रन्थों में तो समुद्र-तल को कुबेर का निवास कहा गया है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार 16 1/2 किलोमीटर तक समुद्र तेल का क्षेत्र किसी भी देश विशेष की प्रभुसत्ता के अन्तर्गत आता है परंतु चीन ने यह विवाद खड़ा किया है कि इस सीमा को 200 मील तक बढ़ाया जाये। हमें इस संदर्भ में अपनी नीति का निर्धारण करना चाहिये। अन्यथा कल को समय आयेगा कि बहु राष्ट्रीय निगम इस ओर रुचि लेने लगे तो हमें नीति परिवर्तन का अवसर नहीं मिलेगा।

***श्री जे० माला गौडर** (निलगीरी) : विधेयक के खंड 15 में अनुसूची के अनुसार उपकर की व्यवस्था है। कच्चे तेल पर अधिकतम 100 रु० प्रतिटन और प्राकृतिक गैस पर 50 रु० प्रति हजार घनमीटर की दर से उत्पाद शुल्क वसूल किया जा सकता है। परंतु आरंभ में केवल कच्चे तेल रु 60 रु० प्रतिटन की दर से उपकर लेने का प्रस्ताव है। यदि इस प्रकार की विकास निधि का बनाया जाना अनिवार्य है तो यह समझ में नहीं आता कि प्राकृतिक गैस पर उपकर क्यों नहीं लगाया जा रहा फिर जब 100 रु० की दर से उपकर लगाया जा सकता है तो 60

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर।

*Summarised Translated version of the English translation of the speech delivered in Tamil.

[श्री जे० माता गौड़र]

रू० की दर से क्यों लगाया जा रहा है तेल उद्योग के विकास का सरकारी प्रयास तो स्वागत योग्य है परंतु उपकर लगाने के ढंग की सराहना नहीं की जा सकती। सरकार को सभा के सामने स्पष्ट स्थिति रखनी चाहिये थी।

खंड 3 में बोर्ड के गठन की व्यवस्था है। सरकार द्वारा 5 सरकारी अफ़सरों को सदस्य के रूप में नामजद करना है। शेष सदस्य तेल उद्योग का प्रतिनिधित्व करेंगे यद्यपि बोर्ड में श्रमिकों के प्रतिनिधित्व की बात मंत्री महोदय ने कही है परंतु विधेयक में ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है तथापि यह प्रयास सराहनीय है।

श्रमिकों को प्रतिनिधित्व देते समय इस बात की ओर ध्यान रखा जाए कि इस प्रतिनिधित्व के लिए केवल इण्डियन नेशनल ट्रेड युनियन कांग्रेस को ही नहीं चुना जाये। अन्य मजदूर संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी अवसर दिया जाय। तभी यह बोर्ड श्रमिकों के वास्तविक प्रतिनिधित्व का हक ग्रहण कर सकेगा।

विधेयक में उपकर का उत्पादशुल्क के रूप में वर्णन है। परंतु फिर भी सरकार इसे कराधान उपाय नहीं कहना चाहती। इसमें कोई संशय नहीं की यह उपकर अप्रत्यक्ष कराधान है।

पैट्रोल का मूल्य बहुत अधिक बढ़ने के कारण लोगों ने कारों का प्रयोग बन्द कर दिया है। सरकार की छोटी कार बनाने की योजना है। इस बात की शंका है कि क्या पैट्रोल के मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरुप इन छोटी कारों की बिक्री होगी यदि इस उपस्कर के परिणामस्वरुप तेल उद्योग का विकास होता है और पैट्रोलियम उत्पादों का मूल्य कम होता है तो सभी प्रयोजन सिद्ध हुए माने जायेंगे। यदि पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में निरन्तर वृद्धि होती रहती है, तो पैट्रोलियम उत्पादों की मांग कम होगी और इसका प्रत्यक्ष रूप से हमारी आर्थिक प्रगति पर प्रभाव पड़ेगा। क्या सरकार ने स्वदेशी कच्चे तेल का उत्पादन बढाने और पैट्रोलियम वस्तुओं की कीमतों को धीरे धीरे कम करने के संबंध में कोई दीर्घकालीन योजना तैयार की है।

क्या सरकार ने देश के समूचे क्षेत्र में तेल की खोज के लिये कोई योजना तैयार की है? तमिलनाडु में मद्रास से कन्याकुमारी तक का देश का सबसे बड़ा समुद्र तट है। यदि हम देश के समुचे तटीय क्षेत्रों में विषेशकर तमिलनाडु क्षेत्र में तेल की खोज करे तो निश्चय ही हम तेल के मामलों में आत्मनिर्भर हो सकते हैं।

मालवीय समिति ने सिफारिश की है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को दी गई शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिये।

हमारे देश के लम्बे तटीय क्षेत्र में तेल की खोज के लिये दो या तीन 'सागर सम्राट' की आवश्यकता होगी। क्या विकास निधि से दो या तीन सागर सम्राट खरीदने सम्भव होंगें?

माननीय मंत्री को स्पष्ट रूप से यह आश्वासन देना चाहिये कि इस उपकर से पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में और वृद्धि नहीं होगी। क्या सरकार ने विकास निधी के निर्माण के साथ तेल उद्योग के विकास के लिये कोई दीर्घकालीन कार्यक्रम तैयार किया है।

Shri Nathu Ram Mirdha (Nagaur) : The spirit behind the Bill is good. But there was no necessity of bringing this Bill in the form of a secret Bill. The argument given by the hon. Minister in support of his action do not appear to be convincing.

The Government will get 48 crores in all. In case the Government imposes a small cess on petroleum products it will get a much better amount.

The Government has miserably fail in achieving the target of fertilizer during the Fourth Plan. The fertilizer plants have not yet been constructed. They are expected to be completed at the middle or at the end of the Fifth Plan.

Rs. 48 crores will go to the consolidated Fund. It is not known how much money will be spent on development of oil industry.

The Oil Industry Development Board is being created. There will be a lot of administrative expenditure on the establishment of the Board. It is not known as to what schemes the Board will chalk out to augment production of petroleum.

There are so many experts in the Ministry. Even then the production of petroleum has not increased to the required extent. It appears that the Board will not be able to help much in this matter. I want to know how many technical persons are in that board. You have just stated that the Ministers will not be included in it. They must be included in that board because they are the most responsible persons. It appears that Board is not going to solve any important problems of the Country.

We are not opposed of increasing the representatives in the board. But our exeperiment in this respect has not proved to be successful. These representatives must have some knowledge in this matter.

The Board consisting of bureaucrats will not be of any use. There should be experts in the Board and it should be headed by the Minister so that he may be called to account for the functioning of the Board.

There is a great need for improving the performance or the Ministry of Petroleum and Chemicals.

There is no problem of funds, the real problem is that of ill coordination in the functioning of the Ministry.

*श्री **वीरेन दत्त** (त्रिपुरा–पश्चिम) : कुछ समय पूर्व माननीय मंत्री ने देश में उपलब्ध संसाधनों से तेल का पता लगाने के संबंध में विचार प्रकट किये थे। लेकिन वर्तमान विधेयक में इस बार में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। आज की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यदि हम तेल के संसाधनों का पता लगाने के लिये रुस– जापान का सहयोग प्राप्त करते हैं, तो ऐसा करना अनुचित नहीं होगा। लेकिन ऐसा करने से अन्ततः हमारी स्वतन्त्रता और राष्ट्रीय हितों को खतरा उत्पन्न हो जायेगा। आज के युग में कमजोरों की कोई भी परवाह नहीं करता। विधेयक के बारे में मंत्री महोदय ने स्पष्ट किया है कि बोर्ड सदस्यों पर सीधा संसद् का नियंत्रण नहीं होगा। इन परिस्थितियों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियां बोर्ड के सदस्यों पर अपना प्रभाव डालेंगी और उन्हें राष्ट्र के हित के विरुद्ध कार्य करने पर मजबूर कर अपना मतलब निकालेंगी अतः इस संबंध में हमें सावधानी से काम लेना चाहिये।

त्रिपुरा में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के प्रशासनिक ढ़ांचे में बहुत गोलमाल था। माननीय मंत्री द्वारा परियोजना मैनेजर को निकालने के लिये की गई कार्यवाही की मैं प्रशंसा करता हूं।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अध्यक्ष ने यह विचार प्रकट किया है कि त्रिपुरा में प्राप्त गैस का वाणिज्यिक आधार पर उपयोग किया जा सकता है और यदि ऐसा किया जाता है तो इससे प्राप्त आय से तेल खोज पर हुए व्यय को पूरा किया जा सकता है।

मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। लेकिन विधेयक में कुछ उपबन्ध ऐसे किये जाने चाहिये जिससे त्रिपुरा और आसाम जैसे पिछड़े राज्यों को सहायता मिलती लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि विधेयक में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है।

*बंगाली में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

[श्री वीरेन दत्त]

मंत्री महोदय ने बोर्ड के कार्य-संचालन में कर्मकारों के सहयोग की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए कहा है कि बोर्ड में कर्मकारों का कम से कम एक प्रतिनिधि होगा। इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। यद्यपि विधेयक में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है। यदि संशोधन द्वारा यह बात स्पष्ट कर दी जाती है तो समूची अनिश्चितता दूर हो सकती है।

त्रिपुरा में केवल एक संघ है इसे तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने देहरादून में मान्यता प्रदान की थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि त्रिपुरा के स्थानीय अधिकारी देहरादून के मुख्यालय के आदेशों का पालन नहीं करते हैं। मंत्री महोदय को इस बारे में स्थिति की स्वयं जांच करनी चाहिये और कर्मकारों का पूरा सहयोग प्राप्त करना चाहिये।

आयल इंडिया के एक प्रकाशन के अनुसार देश में ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां तेल संसाधन मिलने की सम्भावना है। इन स्थानों पर तेल खोज कार्य आरम्भ किया गया था लेकिन दुर्भाग्य से जब इसके कोई ठोस परिणाम निकलने की सम्भावना थी तब यह कार्य छोड़ दिया गया था। मंत्री को नियमों में समुचित उपबन्ध करने चाहिये ताकि उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा सके जहां प्रारम्भिक कार्य आरम्भ किया गया हो।

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। निधि का निर्माण करने और बोर्ड की स्थापना का कार्य उचित है। तेल उद्योग को अपने विकास कार्य में अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर संघर्ष करना पड़ता है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गत दो वर्षों से हम न केवल मूल्य के मामले में अपितु इसकी उपलब्धि के बारे में संघर्ष करते रहे हैं।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार 3 सितम्बर, 1974/12 भाद्र, 1896 (शक) के ग्यारह बजे म. प. तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday the 3rd September 1974/Bhadra 12, 1896 (Saka.)

भा०स०मु०ना०—वि० 5—33 लोक सभा/74—2-12-74—490